नगर परिषद नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के लेखों का

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1–4–2015 से 31–3–2017

भाग–एक

1 प्रारम्भिक

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम, 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1–376/81–फिन(एल0ए0)खण्ड–पार्ट, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, नगर परिषद नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के लेखाओ का अंकेक्षण कार्य किया गया।

वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान नियन्त्रक अधिकारी, आहरण एवं संवितरण अधिकारी के रूप में निम्न प्रधान एवं कार्यकारी अधिकारी कार्यरत रहे :–

अवधि	**अध्यक्ष का नाम**	**कार्यकारी अधिकारी का नाम**
1.4.2015 से 31.3.2017	श्रीमती भारती अग्रवाल	श्री सूरत सिंह नेगी

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण

क्रमांक	**अनियमितताओं का संक्षिप्त सार**	**पैरा संख्या**	**राशि (₹) (लाखों में)**
1)	दिनांक 31.3.2017 को वित्तीय स्थिति तथा बैंक जमा शेष में अन्तर का समाधान न करना	4 (क) (2)	3.18
2)	दिनांक 31.3.2017 तक अनुदान की धनराशि व्यय/उपयोग हेतु शेष	5.1	624.64
3)	अनुदान से वेतन व मजदूरी पर निर्धारित मापदण्डों से अधिक राशि व्यय करना	5.2	350.68
4)	सावधि निवेश में अर्जित ब्याज की कम प्राप्ति	6 (ii)	1.26
5)	गृहकर की राशि वसूली हेतु शेष	7 (i)	189.79
6)	दुकानों के किराया की राशि वसूली हेतु शेष	8 (i)	45.79
7)	लाईसैन्स नवीनीकरण शुल्क वसूली हेतु शेष	9	1.49

8)	सफाई कर की राशि वसूली हेतु शेष	10 (i)	60.75
9)	तहबाजारी शुल्क वसूली हेतु शेष	14	0.16
10)	मोबाईल टावर शुल्क वसूली हेतु शेष	15 (i)	3.39
11)	नगर परिषद द्वारा स्थापना पर निर्धारित प्रावधानों से अधिक व्यय करना	19	210.66
12)	नगरपालिका निधि से पैन्शन एवं उपदान निधि के लिए अनियमित हस्तांतरण/अधिक भुगतान	20 (ii)	173.42
13)	कम्यूनिटी ओर्गेनाईजेर (Community Organiser) को वेतन व भत्तों का अनियमित भुगतान	21 (क)	5.98
14)	कर्मचारियों को वेतन व सेवा निवृति लाभों का अधिक भुगतान	21 (ख)	1.08
15)	कार्यकारी अधिकारी को ACPS के अन्तर्गत वेतन व भत्तों का अनुचित लाभ प्रदान करना	21 (ग)	1.13
16)	श्रेणी 4 के कर्मचारियों को 20 साल की सेवा उपरान्त अतिरिक्त वेतन वृद्धि का गलत लाभ प्रदान करने के कारण अनियमित भुगतान	21 (घ)	0.54
17)	यात्रा भत्ते दावों का अधिक भुगतान	22	0.16
18)	मकान किराया भत्ता व चिकित्सा प्रतिपूर्ति का अनियमित भुगतान	23	23.82
19)	सफाई एवं कचरा संग्रहण कार्य को बाह्य स्त्रोतों से करवाने के कारण अनियमित व्यय	25	88.46
20)	Refreshment शीर्ष के अन्तर्गत निर्धारित सीमा से अधिक व्यय	26	0.30
21)	लोक सम्पर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम की अपेक्षा सीधे तौर पर समाचार पत्रों को दिए गए विज्ञापनों पर अनियमित व्यय	27	0.47
22)	गलत गणना के कारण संविदाकारों को अधिक भुगतान करना	28	0.79

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट–''क''** पर दर्शाई गई है। प्रायः यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर नगर परिषद द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है जो अत्यन्त चिन्ता का विषय है। अतः नगर परिषद प्रशासन द्वारा इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्रवाई करनी सुनिश्चित की जाए तदानुसार अनुपालना से यथा समय इस विभाग को अवगत करवाया जाए ताकि अधिक से अधिक पैरों को निस्तारण सम्भव हो सके।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

नगर परिषद नाहन, जिला सिरमौर के अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण, दिनांक 05.03.2018 से 07.04.2018 तक सर्वश्री अनिल कुमार, सहायक नियन्त्रक, मनजीत सिंह व पुनीश सागर, अनुभाग अधिकारी तथा राजीव कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा नगर परिषद नाहन स्थित कार्यालय में किया गया। विस्तृत जाँच हेतु आय के लिए माह 12/2015 व 08/2016 तथा व्यय के लिए 10/2015 व 09/2016 का चयन किया गया जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण नगर परिषद नाहन द्वारा उपलबध करवाए गए अभिलेख व सूचनाओं के आधार पर किया गया है। अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के गलत होने, अपूर्ण होने अथवा उपलब्ध ही न होने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रकार के प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा तथा इस विभाग का उत्तरदायित्व केवल चयनित मासों तक ही सीमित है।

3 अंकेक्षण शुल्क

अवधि 01.04.2015 से 31.03.2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण करने का शुल्क ₹88200 आंका गया जिसे रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा अदा करने हेतु कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद नाहन, से अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 41, दिनांक 7.4.18 द्वारा

अनुरोध किया गया कि अंकेक्षण शुल्क ₹88200 को डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–09 को अविलम्ब भेजना सुनिश्चित किया जाए।

4 वित्तीय स्थिति

(क) स्वः स्त्रोतों एवं अनुदान

(1) नगर परिषद नाहन की स्वः स्त्रोतों तथा अनुदानों से सम्बन्धित लेखाओं की अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 तक वित्तीय स्थिति यथा **परिशिष्ट "ख"** अनुसार निम्न प्रकार से हैः–

वित्तीय वर्ष	शीर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2015–16	स्वः स्त्रोत	51955807.46	21572241.00	73528048.46	36582018	36946030.46
	अनुदान	27074345.00	52645389.00	79719734.00	52887347	26832387.00
	योग	**79030152.46**	**74217630.00**	**153247782.46**	**89469365**	**63778417.46**
2016–17	स्वः स्त्रोत	36946030.46	9507387.00	46453417.46	52005985	– 5552567.54
	अनुदान	26832387.00	68412289.00	95244676.00	41160033	54084643.00
	योग	**63778417.46**	**77919676.00**	**141698093.46**	**93166018**	**48532075.46**
दिनांक 31.3.2017 को वित्तीय स्थिति के अनुसार शेष					₹48532075.46	
दिनांक 31.3.17 को बैंक खातों/सावधि जमा/हस्तगत शेष					₹78959146.72	
दिनांक 31.3.17 को वित्तीय स्थिति तथा बैंक खातों/सावधि जमा/हस्तगत शेष में अन्तर					₹30427071.26	**परिशिष्ट "ख–1"**
Less:– बैंक समाधान विवरणी के अनुसार मिलान की गई					₹30108896.90	**परिशिष्ट "ख–2"**
दिनांक 31.3.2017 को वित्तीय स्थिति तथा बैंक खातों/सावधि जमा/हस्तगत शेष में अन्तर					₹318174.36	

दिनांक 31.3.2017 को नगर परिषद के बैंक खातों में जमा अन्तिम शेषों का विवरण

क्र0सं0	बैंक का नाम	शीर्ष	खाता सं0	शेष (₹)
1	SBOP	IDSMT	55120019530	1371177.23
2	HPSCB	4th SFC	55710107665	2595175
3	HDFC	14th FC	501001000434416	8053029
4	HDFC	House Tax	50100100484403	5176871.26
5	SBF	Works	55120019563	202729.49

6	HPSCB	MPL Fund	55710107583	2148945
7	HDFC	BRGE	1738145000084	126943.21
8	HPSCB	MPL Fund	55910115928	11319351.64
9	HPSCB	Parking	57210101638	4815720
10	SBP	MPL Fund	65047070129	1408442.01
11	Corporation Bank	DC/MP/MLA	146300101001922	629085
12	SBI	BFGF	65040424190	26621
13	UCO	Works	SB-12216	50174
14	SBI	Misce	11128708053	12237.2
15	PNB	Misce	356000100133792	16123.68
16	IDBI	HFA	1933104000012060	1639536
17	IDBI	SBM	1933104000009790	9334019
18	सावधि जमा	————	————	30032967
			कुल योग	**78959146.72**

(2) नगर परिषद की रोकड़ बही (स्वः स्त्रोत तथा अनुदान) के अवलोकन पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया जा रहा था तथा माह के अन्त में बैंक समाधान विवरणी भी नहीं बनाई जा रही थी। कई बार मौखिक एवं लिखित आग्रह के पश्चात भी नगर परिषद द्वारा दिनाँक 31.3.2017 को रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति तथा बैंक खातों/सावधि जमा खातों के अन्त शेषों का मिलान करके अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया। अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई जानकारी तथा रोकड़ बही में दर्ज प्रविष्टियों के आधार पर दिनांक 31.3.2017 को रोकड़ बही (वित्तीय स्थिति) तथा बैंक खातों/सावधि जमा खातों के अन्तशेषों का मिलान करने का भरसक प्रयास किया गया परन्तु समय अभाव के कारण पूर्णतः मिलान सम्भव नहीं हो पाया तथा दिनांक 31.3.2017 को ₹318174.36 का अन्तर मिलान हेतु शेष था। अंकेक्षण द्वारा तैयार की गई बैंक समाधान विवरणी से स्पष्ट विदित होता है कि नगर परिषद द्वारा आय–व्यय से सम्बन्धित कई राशियों की प्रविष्टियाँ रोकड़ बही में दर्ज ही नहीं की गई थी जबकि एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में की गई हस्तांतरित प्रविष्टियाँ (Transfer entries) भी स्पष्ट नहीं थी जिसके कारण रोकड़ बही शुद्ध आय–व्यय बारे स्थिति स्वतः स्पष्ट नहीं करती थी। अतः उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत

परामर्श दिया जाता है कि अंकेक्षण अवधि से सम्बन्धित रोकड़ बही में दर्ज आय–व्यय की अपने स्तर पर पुनः विस्तृत पड़ताल की जाए तथा दिनांक 31.3.17 को रोकड़ बही तथा विभिन्न बैकों/सावधि जमा के अन्तशेषों का मिलान उक्त ₹318174.36 के अन्तर के कारण सहित स्पष्ट करते हुए सुनिश्चित करके यथानुसार रोकड़ बही में लेन–देन की प्रविष्टियाँ की जाए। इसके अतिरिक्त वित्तीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.3.2017 को स्वःस्त्रोतों का अन्तिम शेष ऋणात्मक था जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है जिसका पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए इसके समाधान हेतु भी अपेक्षित कदम उठाये जाएं तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(3) उपरोक्त के अतिरिक्त गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.4.2013 से 31.3.2015 तक पैरा संख्या 4.2 (ii) तथा 4.2 (iii) द्वारा जो अनियमितताएं परिषद के ध्यान में लाई गई थी तथा जिनका समाधान करने हेतु वर्तमान अंकेक्षण के दौरान कई बार आग्रह करने के पश्चात भी अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत नहीं करवाया गया जोकि गम्भीर चिन्ता का विषय है। अतः उक्त वर्णित पैरा संख्या 4.2 (ii) तथा 4.2 (iii) निम्नानुसार पुनः प्रारूपित किये जा रहे है, जिनके सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाएः–

(i) लकड़ी की बिक्री से प्राप्त ₹24000 की आय के चैक को न भुनाना पैरा संख्या 4.2 (ii) अंकेक्षण प्रतिवेदन (4/13 से 3/15)

मैसर्ज पवन कुमार एण्ड कम्पनी चौक नाहन से चैक संख्या 452204 दिनांक 12.6.13 (रसीद संख्या 51178, दिनांक 12.6.13) द्वारा लकड़ी की बिक्री के एवज में ₹24000 प्राप्त हुए थे किन्तु Insufficient Funds होने के कारण चैक बैंक द्वारा परिषद को वापिस लौटाया गया तथा अब यह कालातीत हो चुका है किन्तु राशि को प्राप्त करने बारे परिषद द्वारा कोई कार्यवाही की गई प्रतीत नहीं होती है। अतः नियमानुसार राशि की वसूली हेतु अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ii) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.4.11 से 31.3.13 के बैंक समाधान विवरण अनुसार ₹30414 का अन्तर था (पैरा संख्या 4.2 (iii) अंकेक्षण प्रतिवेदन (4/13 से 3/15)) अर्थात बैंक में कम जमा पाए गए थे जिसका समाधान अभी तक नहीं किया गया है, जोकि गम्भीर चिन्ता का विषय है। अंकेक्षण अवधि 1.4.13 से 31.3.15 तक के दौरान वर्णित अन्तर समाधान करते हुए ₹38916 का पाया गया जोकि बैंक में कम जमा थे जिसका निपटारा माहवार बैंक

समाधान करके किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए (विवरण पुनः संलग्न **परिशिष्ट "ख–2"** में वर्णित है)

(4) परिशिष्ट "ख–2" पर उपलब्ध बैंक समाधान विवरणी के अनुसार रोकड़ बही व बैंक खातों के शेष में अन्तर की मिलान की गई ₹30108896.90 के विनिर्दिष्ट किये गये अन्तर के कारणों का विशलेषण करते हुए रोकड़ बही में यथोचित समाधान करना भी सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) NULM/SJSRY

नगर परिषद नाहन की NULM/SJSRY से सम्बन्धित लेखाओं की अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 तक की वित्तीय स्थिति यथा **परिशिष्ट "ख–3"** अनुसार निम्न प्रकार से हैः–

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	प्राप्ति (स्वः स्त्रोत) (₹)	अनुदान (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2015–16	1998469.64	133563	7106000	9238032.64	1307878.50	7930154.14
2016–17	7930154.14	383297	1200000	9513451.14	1477130.78	8036320.36

दिनांक 31.3.17 को वित्तीय स्थिति के अनुसार को शेष	₹8036320.36
दिनांक 31.3.17 को बैंक खातों/सावधि जमा/हस्तगत शेष	₹8042520.36
दिनांक 31.3.17 को वित्तीय स्थिति तथा बैंक खातों/सावधि जमा/हस्तगत शेष में अन्तर	₹6200

बैंक समाधान विवरणी

दिनांक 31.3.17 को वित्तीय स्थिति के अनुसार को शेष	₹8036320.36
जमाः– माह मार्च 2017 में जारी चैक संख्या 011731 जिसे बैंक (UBI) द्वारा दिनांक 27.4.17 को भुगतान किया गया	₹6200
दिनांक 31.3.17 को बैंक खातों/सावधि जमा/हस्तगत शेष	₹8042520.36

(ग) SWM

नगर परिषद नाहन की SWM से सम्बन्धित लेखाओं की अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 तक की वित्तीय स्थिति यथा **परिशिष्ट "ख–4"** अनुसार निम्न प्रकार से हैः–

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2015–16	316524	12832	329356	0	329356

2016–17	329356	13311	342667	100	342567

दिनांक 31.3.17 को वित्तीय स्थिति के अनुसार को शेष	₹342567
दिनांक 31.3.17 को बैंक खातों/सावधि जमा/हस्तगत शेष	₹342567
दिनांक 31.3.17 को वित्तीय स्थिति तथा बैंक खातों/सावधि जमा/हस्तगत शेष में अन्तर	शून्य

(घ) रोकड़ बही के रख–रखाव सम्बन्धी अनियमितताएं

(i) रोकड़ बही का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित न करना

हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल लेखा संहिता के अध्याय–III के पैरा 19 (3) के अनुसार रोकड़ बही को अध्यक्ष, नगर परिषद द्वारा प्रत्येक माह के अन्त में हस्ताक्षरित करके सत्यापित किया जाना अपेक्षित है किन्तु अंकेक्षण अवधि के दौरान ऐसी कोई भी कार्यवाही नहीं की गई थी जोकि उक्त वर्णित प्रावधान के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है तथा गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी पैरा संख्या 8 द्वारा इस अनियमितता का उल्लेख होने के बावजूद भी कोई कार्यवाही न करना एक गम्भीर चिन्ता का विषय है। उपरोक्त के अतिरिक्त रोकड़ बही में कई प्रविष्टियाँ को परिषद के नियन्त्रक प्राधिकारी द्वारा भी सत्यापित नहीं किया गया था। अतः उपरोक्त अनियमितताओं बारे स्थिति स्प्ष्ट की जाए तथा इनके सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ii) रोकड़ बही का नियमानुसार समय–2 पर न लिखा जाना तथा बैंक समाधान विवरणियाँ तैयार न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि रोकड़ बही का रख रखाव उचित रूप से नहीं किया जा रहा था। रोकड़ बही दिनांक 2.3.2017 से आगे लिखी ही नहीं गई थी। रोकड़ बही में न तो माह 11/2015 से आगे आरम्भिक/अन्तिम शेषों का विवरण दर्ज था और न ही माह के अन्त में बैंक समाधान विवरणियाँ बनाई गई थी। अंकेक्षण के कई बार मौखिक तथा लिखित आग्रह (ज्ञापन संख्या 2, 3 दिनांक क्रमशः 14.3.18 तथा 20.3.18) के बावजूद भी नगर परिषद की वित्तीय स्थिति तथा दिनांक 31.3.2017 को बैंक समाधान विवरणी अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं की गई अपितु केवल दिनांक 02.03.2017 से 31.03.2017 तक रोकड़ बही में प्रविष्टियाँ पूर्ण की गई वह भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं की गई थी जो सम्बन्धित कर्मचारी तथा नियन्त्रक प्राधिकारी की लचर कार्य प्रणाली को दर्शाता है तथा यह इस तथ्य से भी स्पष्ट हो जाता है कि माह 02/17 से 03/18 तक लगभग 13 माह की रोकड़ बही वर्तमान अंकेक्षण तिथि 7.4.18 तक लिखी ही नहीं गई थी जोकि

हिमाचल प्रदेश वित्त (विनियम) विभाग की अधिूसचना संख्या फिन (सी) (ए) (3) 5/2005 शिमला दिनांक 12.8.2009 (Notification, Government of Himachal Pradesh Finance (Regulations) Department,) Fin (c) A (3) 5/2005 Shimla-171002 dated 12th August, 2009.) के नियम 3 (1) में दिए गए निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसके अनुसार प्रत्येक प्राप्ति एवं भुगतान का दैनिक रूप से लेखांकन किया जाना अनिवार्य है। यह एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है क्योंकि इतने लम्बे अन्तराल तक रोकड़ बही के न लिखे जाने तथा बैंक समाधान विवरणियाँ न बनाये जाने के कारण वित्तीय अनियमितताएं होने की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः भविष्य में उपरोक्त अनियमितताओं की पुनरावृति न हो इस ओर विशेष ध्यान दिया जाए साथ ही यह अनियमितताएं उच्चधिकारियों के ध्यान में भी विशेष रूप से अपेक्षित आवश्यक कार्यवाही करने हेतु लाई जाती है।

(iii) दोहरी लेखा पद्धति के आधार पर लेखों/वर्गीकृत खाता बहियों का रख–रखाव न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि परिषद द्वारा दोहरी पद्धति के आधार पर लेखों/वर्गीकृत खाता बहियों का रख–रखाव नहीं किया गया था जबकि निदेशक, शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा दिनांक 1.4.2009 से दोहरी लेखा पद्धति के आधार पर लेखों का रख–रखाव करने के निर्देश दिए गए थे। वर्णित निर्देशों की अनुपालना न करने के कारण जहाँ निदेशक के आदेशों की उल्लंघना हुई है वहीं किस मद से कितनी आय प्राप्त हुई और किस मद पर कितना व्यय हुआ तथा व्यय की गई राशि अनुमोदित बजट प्रावधान से अधिक तो नहीं या अनुदान से प्राप्त राशि का उसी उद्देश्य हेतु व प्राप्त अनुदान की राशि का निर्धारित सीमा तक ही व्यय किया गया है कि नहीं इत्यादि तथ्यों/सूचना की भी पुष्टि नहीं की जा सकती। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 7 में भी इस अनियमितता का उल्लेख होने के बावजूद भी कोई कार्यवाही न करना एक गम्भीर चिन्ता का विषय है। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित अभिलेख को तैयार करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5 अनुदान

कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद द्वारा **परिशिष्ट–"ग व ग–1"** के माध्यम से अंकेक्षण को अवधि 01.04.2015 से 31.03.2017 के दौरान अनुदान की प्राप्तियों एवं व्यय से सम्बन्धित उपलब्ध करवाए गए विवरण का सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने पर निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गई :–

5.1 दिनांक 31.3.2017 तक अनुदान ₹624.64 लाख व्यय/उपयोग हेतु शेष

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण को **परिशिष्ट–"ग–1"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई अनुदानों की विवरणी के अवलोकन पर पाया गया कि दिनांक 31.3.2017 को ₹62463530.36 की अनुदान राशि व्यय/उपयोग हेतु शेष थी। अतः इन अनुपयोग अनुदान राशियों को निर्धारित समय के अन्दर या सक्षम प्राधिकारी से उपयोग की समय बढ़ौतरी प्राप्त कर उन्हीं उद्देश्य हेतु खर्च किया जाना सुनिश्चित किया जाए जिस उद्देश्य हेतु इन्हें स्वीकृत किया गया था। इसके अतिरिक्त इनके व्यय से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र भी उचित समय के अन्दर जारी करके अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

5.2 अनुदान से वेतन व मजदूरी पर निर्धारित मापदण्डों से अधिक ₹350.68 लाख का व्यय करना

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना/अभिलेख के अवलोकन से विदित हुआ कि शीर्ष 4th FC and 13th FC के अन्तर्गत वितीय वर्ष में प्राप्त कुल अनुदान राशि का केवल 20% भाग ही वेतन व मजदूरी पर व्यय किया जा सकता था किन्तु इस सम्बन्ध में **परिशिष्ट–"ग व ग–1"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अवलोकन करने पर पाया गया कि निम्न विवरण अनुसार वित्तीय वर्ष 2015–16 व 2016–17 में शीर्ष 4th FC/13th FC के अन्तर्गत प्राप्त कुल अनुदान राशि में से निर्धारित मापदण्डों से अधिक वेतन व मजदूरी पर ₹35068443 का व्यय किया गया था जोकि अनुदान उपयोग सम्बन्धी सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता को या तो सक्षम प्राधिकारी की विशेष स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा शीर्ष 4th FC/13th FC के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान से किए गए अनियमित भुगतान की भरपाई सम्बन्धित स्त्रोत से करके अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए :–

वित्तीय वर्ष	**शीर्ष 4th FC/13th FC के अन्तर्गत प्राप्त कुल अनुदान की राशि (₹में)**	**निर्धारित मापदण्ड 20% की दर से जो व्यय वेतन व मजदूरी पर किया जाना चाहिए था (₹में)**	**वेतन व मजदूरी पर व्यय किया गया (₹)**	**निर्धारित मापदण्ड 20% से अधिक वेतन व मजदूरी पर किया गया व्यय (₹% में)**
2015–16	37212994	7442598	27466032	20023434 (53.81%)
2016–17	40478352	8095670	23140679	15045009 (37.17%)
			कुल जोड़	**35068443 (45.10%)**

5.3 अनुदान उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित संस्थाओं को प्रेषित न करना

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण को अवधि 01.04.2015 से 31.03.2017 के दौरान अनुदान से व्यय की गई राशियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित संस्थाओं को प्रेषित नहीं किए थे इसलिए अपेक्षित सूचना के अभाव में अनुदान से व्यय की गई राशियों की अंकेक्षण में सत्यापना नहीं की जा सकी। इस सम्बन्ध में वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए तथा वर्णित उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित संस्थाओं/कार्यालयों को अग्रेषित किए जाने सुनिश्चित किए जाऐं तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाए जाने के साथ–साथ जारी किए उपयोगिता प्रमाण पत्र की सत्यापना आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए।

5.4 अनुदान रजिस्टर का उचित अनुरक्षण व अद्यतन न करना

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण की अवधि 01.04.2015 से 31.03.2017 के दौरान अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन नहीं किया गया था अर्थात इसमें प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान में से किए गए व्यय का विस्तृत विवरण नहीं रखा गया था, जिसके अभाव में अनुदान से किए गए व्यय व तदानुसार जारी उपयोगिता प्रमाण पत्रों की अंकेक्षण में सत्यापना नहीं की जा सकी। इस सम्बन्ध मे वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन सुनिश्चित करते हुए अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

6 सावधि निवेश

(i) नगर परिषद द्वारा **परिशिष्ट "घ–1 व 2"** के माध्यम से उपलब्ध करवाई गई सूचना की सम्बन्धित अभिलेख के साथ पड़ताल के दौरान पाया गया कि दिनांक 31.3.2017 को निम्नानुसार राशियाँ सावधि जमा में निवेशित थीः–

शीर्ष	**दिनांक 31.3.2017 को निवेशित राशि (₹)**
नगर परिषद निधि	30032967
GPF	12508308
CPS	10998965

(ii) विभिन्न सावधि निवेश पर ₹1.26 लाख के ब्याज आय की कम प्राप्ति

नगर परिषद द्वारा किए गए विभिन्न सावधि निवेशों पर प्राप्त ब्याज से आय का अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित निवेशों को बैंकों द्वारा परिपक्वता तिथि के लगभग 15 दिन पश्चात बैंक खाते में जमा प्रदान करने के कारण ₹125611 का ब्याज कम प्राप्त हुआ था। अतः यह प्रकरण सम्बन्धित बैंकों से उठाकर वर्णित राशि की वसूली सुनिश्चित की जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः–

बैंक का नाम	सावधि जमा सं0/R.No.	निवेश की तिथि	निवेशित राशि/निवेश की दर (₹ प्रतिशत)	परिपक्वता की तिथि	अवधि	परिपक्वता राशि (₹)	जिस तिथि को सावधि जमा की परिपक्वता राशि बैंक खाते में जमा की गई	दिनांक 30.4.15 से 16.5.16 तक जितनी परिपक्व राशि देय बनती थी	बैंक द्वारा कम दिया गया ब्याज (₹)
SBOP/SBI	65230854026	30.4.15	15000000/8.50 %	29.4.16	1 वर्ष	16301122	16.5.16	16376488 (381 दिनों के लिए)	75366
SBOP/SBI	65230852245	30.4.15	10000000/8.50%	29.4.16	1 वर्ष	10867414	16.5.16	10917659 (381 दिनों के लिए)	50245
								योग	125611

(iii) परिषद द्वारा सावधि जमा पर देय ब्याज ₹0.12 लाख का लेखों में लेखांकन न करना

सावधि जमा से सम्बन्धित अभिलेख की पड़ताल के दौरान पाया गया कि सावधि जमा में निवेशित ₹1673550 (सावधि जमा संख्याः 3293740415, CBI) की दिनांक 27.11.16 को परिपक्वता ₹2028610 बनती थी जिसमें से ₹2016909 दिनांक 27.11.16 को पुनः निवेश किये गए थे परन्तु शेष ₹11701 (2028610–2016909) का परिषद के लेखों में लेखांकन नहीं किया गया था। इस बारे चर्चा के दौरान परिषद द्वारा यह सम्भावना जताई गई कि हो सकता है कि इस राशि की बैंक द्वारा स्त्रोत पर आय कर की कटौती की गई हो। यदि सम्बन्धित बैंक (CBI) द्वारा ₹11701 की स्त्रोत पर आय कर की कटौती की गई थी तो यह उचित नहीं है तथा आयकर अधिनियम की धारा 196 में दिए गए निर्देशों के प्रतिकूल है। अतः यह प्रकरण सम्बन्धित बैंक के समक्ष उठाकर ₹11701 की वसूली करके अपेक्षित अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाये।

(iv) सावधि निवेश की परिपक्वता तथा पुनः निवेशित राशि में ₹900 का अन्तर पाया जाना

परिषद द्वारा 2016–17 में परिपक्व हुई सावधि जमा (PF तथा CPF) से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अवलोकन पर पाया गया कि CPS (Contributory pension scheme) से दिनांक 14.7.15 को सावधि जमा योजना में निवेशित ₹1988836 की दिनांक 19.1.17 को परिपक्वता ₹2259569 बनती थी। परिषद के अनुसार उक्त परिपक्वता राशि को सावधि जमा में पुनः निवेश किया गया था परन्तु दिनांक 19.1.17 को पुनः निवेशित ₹2259569 के स्थान पर ₹2258669 दर्शाई गई थी जिसमें ₹900 का अन्तर पाया गया जोकि अनियमित है। अतः यह प्रकरण सम्बन्धित बैंक से उठाकर वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(v) सावधि जमा पंजिका का उचित रख–रखाव न करनाः–

अंकेक्षण को प्रस्तुत सावधि जमा योजना के रजिस्टर का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिषद द्वारा सावधि जमा पंजिका का रख–रखाव उचित प्रकार से नहीं किया जा रहा था। पंजिका में विभिन्न मदों (CPS, GPF तथा MC Fund) के अन्तर्गत सावधि जमा में निवेशित राशियों उनकी परिपक्वता व पुनः निवेश आदि के बारे न तो पूर्ण विवरण ही दर्शाया गया था औंर न ही प्रविष्टियाँ सक्षम प्राधिकारी से सत्यापित थी। इसी कारण परिषद द्वारा दिनांक 31.3.17 को विभिन्न मदों के अन्तर्गत सावधि जमा में निवेशित राशि से सम्बन्धित अंकेक्षण को प्रस्तुत विवरणी में त्रुटियां पाई गई जिसका सुधार परिषद के पत्र संख्या शून्य दिनांक 6.4.2018 द्वारा यह सूचित करते हुए किया गया कि दिनांक 31.3.17 को सावधि जमा में निवेशित राशि वास्तविकता में ₹30032967 की अपेक्षा ₹27016909 थी। ऐसी स्थिति में इस सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि अंकेक्षण अवधि से सम्बन्धित कोई अन्य सावधि जमा (FDR) अंकेक्षण को प्रस्तुत ही न की गई हो जिसका निराकरण सम्बन्धित अभिलेख का उचित रख–रखाव व समय–समय पर अद्यतन (Update) करके ही किया जा सकता है। अतः वर्णित अनियमितता का संज्ञान लेते हुए सावधि जमा से सम्बन्धित पंजिका का उचित रख–रखाव व अद्यतन सुनिश्चित करके अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(vi) सावधि निवेशों से सम्बन्धित दस्तावेजों का उचित रख–रखाव न करना

नगर परिषद द्वारा समय–2 पर सावधि जमा में निवेशित राशियों की परिपक्वता के उपरान्त पुनः निवेश करने पर सम्बन्धित बैंकों द्वारा या तो नया सावधि जमा पत्र जारी किया जाता है या पुराने सावधि जमा पत्र पर सावधि जमा में पुनः निवेशित राशि से सम्बन्धित विवरण जैसे ब्याज की दर, सावधि जमा की अवधि व परिपक्वता राशि आदि का विवरण दिया जाता है परन्तु परिषद द्वारा इनका उचित रख–रखाव नहीं किया जा रहा था। अतः **परिशिष्ट "घ–3"** में वर्णित सावधि जमा पत्र/बैंक विवरणियां प्रस्तुत करने के साथ–2 भविष्य में सावधि जमा पत्रों की छाया प्रतियों का उचित रख–रखाव तथा हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार निजि क्षेत्र के बैंकों की अपेक्षा सहकारी बैंकों में अतिरिक्त राशि का निवेश किया जाना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

उपरोक्त अनियमितताओं बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12 दिनांक 22.3.18 द्वारा नगर परिषद को अवगत करवाया गया था जिसके प्रत्युत्तर में मौखिक चर्चा के दौरान सूचित किया गया कि इनके सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाएगा।

7 गृहकर

(i) दिनांक 31.3.17 को गृहकर की (House tax) बकाया ₹189.79 वसूली हेतु शेष

अंकेक्षण को **परिशिष्ट "ङ"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार दिनांक 31.3.2017 को गृहकर ₹18978939 की बकाया राशि वसूली हेतु शेष थी जोकि एक गम्भीर चिन्ता का विषय है। चयनित आधार पर अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि गृहकर की मांग एवं प्राप्ति पंजिकाओं में अंकेखण अवधि से सम्बन्धित मांग एवं प्राप्ति की कई प्रविष्टियाँ Update नहीं की गई थी जोकि अनियमित है तथा इसके अभाव में दिनांक 31.3.2017 को दर्शाई गई वसूली हेतु शेष बकाया राशि की अंकेक्षण में सत्यापना सम्भव न हो सकी। उपरोक्त अनियमितता ज्ञापन संख्या 36 दिनांक 6.4.18 तथा 21 दिनांक 28.3.18 द्वारा परिषद के ध्यान में भी लाई गई थी परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

अतः वर्णित अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करके सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाने के साथ–2 गृहकर की बकाया राशि की वसूली हेतु प्राथमिकता के आधार पर विशेष पग उठाए जाने सुनिश्चित किए जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(ii) पिछले कई वर्षों से गृहकर की वसूली न करनाः–

गृह कर मांग एवं प्राप्ति से सम्बन्धित अभिलेख का चयनित आधार पर अवलोकन करने पर पाया गया कि परिषद क्षेत्र के कई आवासियों से पिछले कई वर्षों (वर्ष 2001–02) से गृहकर की वसूली नहीं की गई थी जिनमें से कुछ प्रकरणों में ही **परिशिष्ट "ङ–1"** के अनुसार वसूली हेतु बकाया ₹3389164 देय थी और प्रतिवर्ष यह राशि बढ़ती ही जा रही है जिसके कारण नगर परिषद की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उक्त अनियमितता को ज्ञापन संख्या 21 दिनां 28.3.2018 द्वारा परिषद के ध्यान में लाया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस बारे कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः वर्णित प्रकरणों सहित इसी प्रकार के अन्य प्रकरणों में भी बकाया गृह कर की अविलम्ब वसूली हेतु ठोस कदम उठाए जाने सुनिश्चित करते हुए अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(iii) सरकार के निर्देशानुसार तय गृहकर की दरानुसार मांग व वसूली न करने सम्बन्धी अनियमितता

हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल एक्ट, 1994 की धारा 65 में वर्णित प्रावधानों को पूर्णतया लागू करने हेतु निदेशक, शहरी विकास विभाग ने पत्र संख्या UDH ©(10)-7/98-II दिनांक 17.11.2003 द्वारा निर्देश जारी किए थे कि अवधि 2002–03 में 7.5% की दर से गृहकर लगाकर इसमें प्रति वर्ष 1% की वृद्धि करके अवधि 2007–08 तक गृहकर की दर को 12. 5% किया जाए किन्तु अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार परिषद द्वारा उक्त नियमानुसार निर्धारित दर की अपेक्षा मकानों के क्षेत्रफल अनुसार 21.60/7.20 प्रति वर्ग मी0 की दर से गृहकर वसूल किया गया था जोकि उक्त वर्णित प्रावधानों/निर्देशों की उल्लंघना है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 9.2 द्वारा यह अनियमितता परिषद के ध्यान में लाई गई थी लेकिन इसके बावजूद भी कोई कार्यवाही न करना एक गम्भीर चिन्ता का विषय है। अतः इस अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करने के साथ–2 वर्तमान में वसूल किया जा रहा गृहकर यदि सरकार द्वारा निर्धारित उक्त दरों से देय गृहकर से कम बनता हो तो राशि की गणना अपने स्तर पर करके बकाया गृहकर की वसूली सुनिश्चित की जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

8 दुकानों के किराए से सम्बन्धित अनियमितताएं

(i) दिनांक 31.3.2017 को दुकानों के किराए की ₹45.79 लाख वसूली हेतु शेष

अंकेक्षण को **परिशिष्ट "च"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार दिनांक 31.3.2017 तक दुकानों के किराए ₹4578811 वसूली हेतु शेष थी जोकि एक गम्भीर चिन्ता का विषय है। उपरोक्त अनियमितता को ज्ञापन संख्या 19 दिनांक 21.3.18 द्वारा परिषद प्रशासन के ध्यान में लाया गया था जिसके प्रत्युतार में परिषद द्वारा वसूली करने का आश्वासन दिया गया है। अतः वर्णित बकाया राशि की वसूली हेतु प्राथमिकता के आधार पर विशेष कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(ii) कुछ दुकानदारों से एक लाख से अधिक देय किराए की वसूली न करना

दुकानों के किराए के मांग एवं प्राप्ति से सम्बन्धित अभिलेख का चयनित आधार पर अवलोकन करने पर पाया गया कि कुछ दुकानदारों से पिछले कुछ वर्षों से दुकानों के किराए की वसूली नहीं की गई थी जिसके कारण उनसे देय बकाया राशि एक लाख से अधिक हो गई थी तथा **परिशिष्ट "च–1"** के अनुसार कुल बकाया ₹1487475 बनता था तथा प्रतिवर्ष यह राशि बढ़ती ही जा रही है जोकि एक गम्भीर चिन्ता का विषय क्योंकि इससें परिषद की वित्तीय स्थिति प्रभावित होती है। उक्त अनियमितता ज्ञापन संख्या 19 दिनांक 21.3.18 द्वारा परिषद के ध्यान में लाई गई थी जिसके प्रत्युत्तर में परिषद द्वारा वसूली करने का आश्वासन दिया गया है। अतः वर्णित प्रकरणों सहित इसी प्रकार के अन्य प्रकरणों में भी बकाया दुकानों के किराए की अविलम्ब वसूली हेतु ठोस कदम उठाए जाने सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9 लाईसैंस नवीनीकरण शुल्क ₹1.49 लाख वसूली हेतु शेष

अंकेक्षण के दौरान **परिशिष्ट "छ"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार दिनांक 31.3.2017 को लाईसैन्स नवीनीकरण शुल्क ₹149149 वसूली हेतु शेष था। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण में पाया गया कि परिषद द्वारा लाईसैन्स शुल्क की मांग व प्राप्तियों के सम्बन्धित अभिलेख का रख–रखाव सही रूप से नहीं किया जा रहा था अर्थात सम्बन्धित पंजिका में शुल्क की प्राप्ति की प्रविष्टियाँ स्पष्ट नहीं थी जिन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित भी नहीं

किया गया था और प्रत्येक लाईसैन्स धारक से निर्धारित दर से कुल कितनी राशि देय थी, कितनी प्राप्त की गई व कितनी बकाया थी इत्यादि वर्णित अनियमितताएं ज्ञापन संख्या 16, दिनांक 27.3.18 द्वारा परिषद के ध्यान में लाई गई थी परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक इस बारे कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः वर्णित बकाया राशि की वसूली हेतु तुरन्त ठोस पग उठाये जाने के साथ–2 अभिलेख का उचित रख–रखाव भी सुनिश्चित किया जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

वर्ष	**आरम्भिक शेष (₹)**	**वर्ष के दौरान योग (₹)**	**कुल योग (₹)**	**वर्ष के दौरान प्राप्त राशि (₹)**	**अन्तिम शेष बकाया (₹)**
2015–16	45908	73350	119258	30334	88924
2016–17	88924	73350	162274	13125	149149

10 सफाई कर सम्बन्धी अनियमितताएं

(i) दिनांक 31.3.2017 तक सफाई कर (Sanitation tax) ₹60.75 लाख की बकाया राशि वसूली हेतु शेष

अंकेक्षण को **परिशिष्ट "ज"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार दिनांक 31.3.2017 को सफाई कर ₹6074989 वसूली हेतु शेष था तथा इतनी अधिक राशि वसूली हेतु शेष होना एक गम्भीर चिन्ता का विषय है। इसके अतिरिक्त चयनित आधार पर अंकेक्षण करने के दौरान यह भी पाया गया कि सफाई कर की मांग एवं प्राप्ति पंजिकाओं में अंकेक्षण अवधि से सम्बन्धित मांग एवं प्राप्ति की गई प्रविष्टियाँ Update नहीं थी जोकि अनियमित है जिसके अभाव में दिनांक 31.3.2017 को दर्शाई गई वसूली हेतु शेष बकाया राशि सही थी, की सत्यापना अंकेक्षण में सम्भव न हो सकी। उपरोक्त अनियमितता ज्ञापन संख्या 22 दिनांक 28.3.18 द्वारा परिषद प्रशासन के ध्यान में लाई गई थी परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक इस बारे कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः वर्णित बकाया राशि की वसूली हेतु तुरन्त ठोस पग उठाए जाने के साथ–2 अभिलेख का अद्यतन (Updation) भी सुनिश्चित किया जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ii) पिछले कई वर्षों से सफाई कर की वसूली न करना

सफाई कर की मांग एवं प्राप्ति से सम्बन्धित अभिलेख के चयनित आधार पर अवलोकन करने पर पाया गया कि परिषद क्षेत्र के कई आवासियों से पिछले कई वर्षों (वर्ष 2004 तथा 2006) से सफाई कर की वसूली नहीं की गई थी। कुछ **परिशिष्ट "ज–1"** के

अनुसार प्रकरणों में ही यह बकाया ₹67878 बनती थी। जिससे स्पष्ट होता है कि कर की वसूली हेतु ठोस प्रयास नहीं किए जा रहा है जोकि गम्भीर चिन्ता का विषय है क्योंकि शुल्कों/करों की समय पर वसूली न करने के कारण नगर परिषद की वित्तीय स्थिति व परिणामतः विकास कार्य प्रभावित होते है। उपरोक्त अनियमितता ज्ञापन संख्या 22 दिनांक 28.3.2018 द्वारा परिषद के ध्यान में लाई गई थी परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस बारे कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हआ। अतः वर्षों से लम्बित बकाया सफाई की वसूली अविलम्ब करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

11 बिजली शुल्क

शहरी विभाग की अधिसूचना संख्याः एलएसएचडी (1)–9/94–खण्ड–II दिनांक 13.12.2000 के अनुसार दिनांक 1.1.2001 से नगर परिषद परिक्षेत्र के भीतर बिजली की कुल खपत का एक पैसा प्रति यूनिट की दर से शुल्क विद्युत बोर्ड द्वारा सम्बन्धित नगर परिषद को दिया जाना अपेक्षित है परन्तु नगर परिषद द्वारा निम्नविवरणानुसार उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट "झ")** के अनुसार परिषद को वर्ष 2016–17 से सम्बन्धित शुल्क की राशि विद्यूत बोर्ड से प्राप्त नहीं हुई थी। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2015–16 में कुल बिजली खपत की यूनिट से सम्बन्धित कोई भी जानकारी अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं करवाई गई जिसके कारण परिषद को वर्ष 2015–16 में बिजली बोर्ड से प्राप्त शुल्क ₹221591 के सही होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस बारे अंकेक्षण द्वारा जारी ज्ञापन संख्या 16 दिनांक 27.3.2018 द्वारा उपरोक्त जानकारी मांगी गई थी परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक नगर परिषद द्वारा कोई भी उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करने के साथ–2 वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए देय बिजली शुल्क की सम्बन्धित विभाग से वसूली भी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः–

वर्ष	**पत्र संख्या जिसके अन्तर्गत शुल्क प्राप्त हुआ तथा वर्ष जिससे सम्बन्धित शुल्क प्राप्त हुआ**	**चैक सं0**	**राशि (₹)**
2015–16	NESD/Cash/2015-9357 दिनांक 12.1.16	552380 दिनांक 3.12.15	221591
2016–17	––––	––––	शून्य
		कुल योग	**221591**

12 शराब शुल्क

नगर परिषद को अंकेक्षण अवधि में आबकारी एवं कराधान विभाग हिमाचल प्रदेश से परिषद क्षेत्र में बेची गई शराब की बोतलों पर एक रूपये प्रति बोतल की दर से शराब शुल्क की निम्न विवरणानुसार ₹626579 की आय प्राप्त हुई थी **(परिशिष्ट "ञ")**

वर्ष	चैक सं0	पत्र संख्या जिसके अन्तर्गत शुल्क प्राप्त हुआ तथा वर्ष जिससे सम्बन्धित शुल्क प्राप्त हुआ	राशि (₹)
2015–16	————	————	————
2016–17	————	————	626579
		कुल योग	**626579**

आबकारी एवं कराधान विभाग से प्राप्त नगर परिषद परिक्षेत्र में बेची गई शराब की बोतलों की संख्या बारे कोई भी जानकारी अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं करवाई गई जिसके कारण परिषद को आबकारी एवं कराधान विभाग से प्राप्त ₹626579 के सही होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 16 दिनांक 27.3.18 द्वारा परिषद से उक्त सूचना मांगी गई थी परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक नगर परिषद द्वारा कोई भी उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करने के साथ–2 वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए देय शराब शुल्क की राशि सम्बन्धित विभाग से अविलम्ब प्राप्त करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 बिजली उपकर व शराब उपकर की मांग एवं प्राप्ति के अभिलेख का उचित रख–रखाव न करना

नगर परिषद द्वारा कुछ अवधि का बिजली उपकर व शराब उपकर सम्बन्धित विभागों से प्राप्त नहीं किया गया था और न ही मांग व प्राप्तियों से सम्बन्धित अभिलेख का उचित संरक्षण ही किया जा रहा था जिसके अभाव में यह पुष्टि नहीं की जा सकती कि निर्धारित दर से कुल कितनी राशि देय थी, कितनी प्राप्त की गई व कितनी बकाया थी। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 15 द्वारा भी यह अनियमितता ध्यान में लाई गई थी परन्तु इस बारे कोई भी कार्यवाही नहीं की गई थी जोकि गम्भीर चिन्ता का विषय है। अतः वर्णित अनियमितता का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में वर्णित अभिलेख की उचित संरक्षण करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

14 तहबाजारी शुल्क ₹0.16 लाख वसूली हेतु शेष

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट "त")** के अनुसार दिनांक 31.3.2017 को निम्न विवरणानुसार तहबाजारी शुल्क ₹16353 वसूली हेतु शेष थी। अंकेक्षण ने ज्ञापन संख्या 35 दिनांक 6.4.18 द्वारा शेष बकाया राशि की वसूली न करने बारे में स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः तहबाजारी शुल्क की बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

वित्त वर्ष	देय राशि (₹)	प्राप्ति (₹)	शेष (₹)
2015–16	85200	78262	6938
2016–17	85200	75785	9415
		योग	**16353**

15 मोबाईल टावर शुल्क

(i) मोबाईल टावर नवीनीकरण शुल्क ₹3.39 लाख वसूली हेतु शेष

हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या DIT-DEV-IT-2005 दिनांक 22.8.2006 के अनुसार नगर परिषद क्षेत्र में मोबाईल सेवा प्रदान करने वाली विभिन्न कम्पनियों द्वारा लगाए गए मोबाईल टावरों से स्थापना शुल्क की एक मुश्त ₹10000 प्रति टावर तथा वार्षिक नवीनीकरण शुल्क ₹5000 प्रति टावर वसूल करना अपेक्षित था। अंकेक्षण को **परिशिष्ट "थ"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का प्रस्तुत सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा विभिन्न मोबाईल कम्पनियों से दिनांक 31.3.17 को वार्षिक नवीनीकरण शुल्क ₹338750 की वसूली शेष थी। अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 15 दिनांक 27.3.18 द्वारा परिषद से बकाया शुल्क की वसूली न करने बारे स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्याः एल0आर0सी0/एम0सी0/2018–916 दिनांक 6.4.18 द्वारा परिषद ने बकाया राशि की सम्बन्धित मोबाईल कम्पनियों से शीघ्र वसूली करके अवगत करवाने की आश्वासन दिया है। अतः अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ii) मोबाईल कम्पनियों द्वारा स्थापित अतिरिक्त anteenaa से सम्बन्धित अभिलेख का उचित रख–रखाव न करना

नगर परिषद द्वारा रख–रखाव की गई मोबाईल टावर्ज से सम्बन्धित पंजिका का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि कुछ मोबाईल कम्पनियों से दिनांक 31.3.17 तक बकाया नवीनीकरण शुल्क से अधिक शुल्क की वसूली की गई थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "थ–1"** में दिया गया है। इस सम्बन्ध में चर्चा के दौरान अंकेक्षण को अवगत करवाया गया था कि अधिक प्राप्त शुल्क मोबाईल कम्पनियों द्वारा स्थापित अतिरिक्त ·nteenaas से सम्बन्धित है परन्तु मोबाईल टावर्ज पंजिका से यह स्पष्ट नहीं होता था कि यह अतिरिक्त Anteenas कितने व कब से स्थापित थे जिसके कारण **परिशिष्ट "थ–1"** द्वारा उपलब्ध गई सूचना व देय/प्राप्त anteena शुल्क के सही होने की अंकेक्षण में पुष्टि नहीं की जा सकी। नगर परिषद ने पत्र संख्या एल0आर0सी0/एम0सी0/2018–916 दिनांक 6.4.18 द्वारा इस सन्दर्भ में अपेक्षित आवश्यक कार्यवही करके अंकेक्षण को अवगत करवाने का आवश्वासन दिया है। अतः अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

16 पार्किंग शुल्क

(i) पार्किंग शुल्क ₹1.54 लाख वसूली हेतु शेष

अंकेक्षण को **परिशिष्ट–"द"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना का सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि दिनांक 31.3.17 को नगर परिषद क्षेत्र में स्थित माल रोड (Yellow line) पार्किंग स्थल से पार्किंग शुल्क ₹154000 की बकाया राशि वसूली हेतु शेष थी। जिसके सन्दर्भ में नगर परिषद द्वारा वर्णित राशि की वसूली हेतु माननीय न्यायालय में केस किया गया है। अंकेक्षण के दौरान पार्किंग स्थल के आबंटन से सम्बन्धित प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि माल रोड (Yello line) पार्किंग स्थल का आबंटन नगर परिषद नाहन के पत्र संख्या एल0आर0/सी0/एम0सी0/2016–1416, दिनांक 9.5.16 द्वारा ₹204000 में श्री वेद प्रकाश शर्मा पुत्र श्री बली राम को किया गया था तथा नीलामी सूचना व कार्य आबंटन पत्र की शर्त के अनुसार आबंटी को अनुबन्ध हस्ताक्षरित करके ठेके की कुल राशि का 60% भाग सर्विस टैक्स सहित, जोकि ₹140148 (122400+17748) बनता था, को अग्रिम में कार्य आबंटन तिथि से तीन दिन के भीतर जमा करवाया जाना अनिवार्य था परन्तु इसके विपरीत आबंटी द्वारा बिना अनुबन्ध हस्ताक्षरित किए केवल ₹50000 रसीद संख्या 26/394 दिनांक

2.7.16 के अन्तर्गत जमा करवाए गए थे जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। इस सन्दर्भ में 9 माह उपरान्त ठेका आबंटन की उक्त शर्तों को पूर्ण न करने के कारण नगर परिषद ने पत्र संख्या एल0आर0सी0/एम0सी0/2017–365 दिनांक 3.2.17 द्वारा पार्किंग का ठेका रद्द कर दिया था जबकि उचित होता है कि यदि आबंटी द्वारा आबंटन पत्र की शर्तानुसार अनुबन्ध हस्ताक्षर करके ठेके की 60% राशि जमा नहीं करवाई जा रही थी तो नगर परिषद को पार्किंग स्थल को संविदाकार के हवाले नहीं करना चाहिए था बल्कि आबंटन को अविलम्ब रद्द करके पुनः नीलामी करके आबंटित किया जाना चाहिए था ताकि नगर परिषद कोष को वित्तीय हानि से बचाया जा सकता। ठेके को 9 माह पश्चात रद्द करना औचित्य पूर्ण प्रतीत नहीं होता क्योंकि इस कारण एक ओर जहां ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाया गया है वहीं दूसरी ओर ठेके से सम्बन्धित बकाया राशि की वसूली न किये जाने के कारण नगर परिषद कोष को हानि भी हुई है। उपरोक्त अनियमितता ज्ञापन संख्या 14 दिनांक 27.3.18 द्वारा परिषद के ध्यान में लाई गई थी जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्याः एल0आर0सी0/एम0सी0/2018–914 दिनांक 6.4.18 द्वारा नगर परिषद का दिया गया उत्तर सन्तोषजनक नहीं पाया गया। अतः माननीय न्यायालय के अन्तिम फैसले अनुसार आगामी आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(ii) नियोजित रूप से पार्किंग स्थल का आबंटन न किये जाने के कारण नगर परिषद निधि को ₹0.20 लाख की सम्भावित हानि

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने, महलात (inside yellow line) पार्किंग स्थल का आबंटन नगर परिषद नाहन के पत्र संख्या एल0आर0सी0/एम0सी0/2016–1419 दिनांक 9.5.16 द्वारा ₹103000 में श्री आशुतोष पुत्र श्री धर्म प्रकाश को अवधि 9.5.16 से 30.4.17 तक के लिए किया गया था जिसकी अवधि बाद में बढ़ा कर 31.5.17 तक कर दी गई थी। अंकेक्षण को प्रस्तुत सम्बन्धित अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि आबंटी के पत्र दिनांक 29.6.16 के अनुसार चूंकि उसने ₹103000 की बोली पार्किंग स्थल में 20 से 25 कारों को खडा होने की क्षमता के आधार पर दी थी परन्तु उस पार्किंग स्थल पर इतनी कारें खडी नहीं की जा सकती थी क्योंकि पार्किंग स्थल पर कुछ कारे पहले से ही स्थाई रूप से खडी थी जो पार्किंग शुल्क देने को तैयार नहीं थी इसलिए आबंटी के प्रार्थना को ध्यान में रखते हुए तथा पार्किंग स्थल की वस्तुस्थिति बारे मुआयना करने के पश्चात नगर

परिषद ने आबंटन ₹103000 से ₹20000 कम करके ₹83000 कर दी गई जिसके कारण परिषद निधि को ₹20000 की वित्तीय हानि हुई है जोकि उचित नियोजन से रोकी जा सकती थी यदि नगर परिषद ठेका दिए जाने से पूर्व पार्किंग स्थल पर अनाधिकृत खडे वाहनों को हटा करके पार्किंग स्थल का आबंटन करता । उपरोक्त अनियमितता ज्ञापन संख्या 14 दिनांक 27.3.18 द्वारा परिषद के ध्यान में लाई गई थी जिसके सन्दर्भ में नगर परिषद द्वारा पत्र संख्या एल0आर0सी0/एम0सी0/2018–914 दिनांक 6.4.18 द्वारा दिया गया उत्तर सन्तोषजनक नहीं पाया गया। अतः वर्णित अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा ₹20000 की वसूली उपयुक्त स्त्रोत से करके अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

17 ठोस कचरा प्रबन्धन (Solid Waste Management) से उत्पन्न 114261 किलोग्राम खाद की मात्रा की बिक्री न करना

नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट "घ")** एवं सम्बन्धित अभिलेख के अवलोकन से विदित हुआ कि अंकेक्षण अवधि के दौरान परिषद द्वारा ठोस कचरा प्रबन्धन (Solid Waste Management) से 72000 किलोग्राम खाद उत्पन्न करने हेतु ठेकेदार को लगभग 1072500 का भुगतान किया गया था तथा इस खाद का बिक्री मूल्य मात्र 50 पैसे प्रति किलोग्रात निश्चित किया था जो कि वर्तमान समय में औचित्यहीन लगता है वह भी उस स्थिति में जब खाद उत्पन्न करने हेतु ही ठेकेदार को ₹14.89 प्रति किलोग्राम (₹1072500/72000 किलोग्राम) का भुगतान किया गया हो जहां परिषद को इस खाद की बिक्री पर ₹14.39 प्रति किलोग्राम की दर से नुकसान हो रहा है वहीं दिनांक 31.3.2017 को 114261 किलोग्राम खाद की भारी मात्रा स्टॉक में बिक्री हेतु शेष थी जिसकी बिक्री हेतु ठोस पग नहीं उठाये गए प्रतीत होते है। गत अंकेक्षण में भी पैरा संख्या 28 द्वारा यही आपत्ति उठाई गई थी परन्तु इस बारे कोई भी कार्यवही की गई प्रतीत नहीं होती है। अतः इस सम्बन्ध में पुनः परामर्श दिया जाता है कि जहां खाद के बिक्री मूल्य को तर्कसंगत रूप से निश्चित किया जाये वही स्टॉक में पड़ी खाद की बिक्री हेतु भी विशेष तौर से ठोस पग उठाये जाएं जैसे कि सरकारी व अर्धसरकारी विभागों अर्थात कृषि/उद्ययान बागवानी विभाग/विश्व विद्यालय इत्यादि को खाद बेचने सम्बन्धी सम्भावनाओं को तलाशना इत्यादि ताकि परिषद को वर्ष दर वर्ष हो रही वित्तीय हानि को कम किया जा सके तथा इसकी

कमजोर वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हो सके। यह प्रकरण उच्चाधिकारियों के ध्यान में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु लाया जाता है।

18 अभिलेख प्रस्तुत न करना

कई बार मौखिक एवं लिखित आग्रह करने के पश्चात भी निम्नलिखित अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया जोकि गम्भीर अनियमितता है क्योंकि इसके अभाव में आय व व्यय के वर्णित लेन–देन का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका।

(i) नगर परिषद को चयनित मासों में निम्न विवरणानुसार भूमि के विक्रय से प्राप्त ₹3618306 से सम्बन्धित अभिलेख जैसे भूमि के विक्रय हेतु सक्षम प्राधिकारी की अनुमति, विक्रय का उद्देश्य एवं भूमि के विक्रय हेतु नियमों में प्रावधान सम्बन्धी दस्तावेज/जानकारी इत्यादि कई बार आग्रह के पश्चात भी (ज्ञापन संख्या 20 दिनांक 27.3.18) प्रस्तुत नहीं किए गएः–

रसीद सं0	दिनांक	भूमि के विक्रय से प्राप्त राशि (₹)
402/10	9.8.16	1260270
361/7	4.12.15	449873
363/25	11.12.15	1062198
363/66	17.12.15	845965
	कुल योग	**3618306**

(ii) नगर परिषद को चयनित मासों में Road digging charges के रूप में निम्नानुसार प्राप्त ₹1719300 से सम्बन्धित अभिलेख जैसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा Road digging charges की निर्धारित दर सम्बन्धी दस्तावेज तथा सम्बन्धित नस्तियाँ कई बार आग्रह के पश्चात भी (ज्ञापन संख्या 37 दिनांक 6.4.18) अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं की गईः–

माह	नाम	रसीद सं0	Road Digging Charges (₹)
12/15	श्रीमती भुनेश्वर देवी	364/97	500
	श्री हर्मेश सिंह	264/94	500
	श्री कुलदीप सिंह	363/69	500
	श्री कुलदीप शर्मा	363/73	500
	श्री रमेश चन्द	363/74	500
	श्री साहिर खान	363/76	500

	श्री धरम पाल	363/78	500
	श्री नितिन तामौर	363/79	500
	श्री इंद्र जीत सिंह	363/08	500
08/16	Reliance Co.	402/16	1714800
		कुल योग	**1719300**

(iii) रसीद बुक स्टॉक रजिस्टर

अतः अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

19 हिमाचल प्रदेश नगरपालिका 1994 की धारा 53 (1) (ग) के प्रावधानों के विपरीत स्थापना पर ₹210.66 लाख का अनाधिकृत रूप से अधिक व्यय करना

हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 53 (1) (ग) के अनुसार स्थापना पर व्यय नगरपालिका के कुल व्यय के एक तिहाई से अधिक नहीं होना चाहिए परन्तु नगर परिषद द्वारा वर्ष 2015–16 व 2016–17 के दौरान निम्न विवरणानुसार स्थापना पर ₹21066298 का व्यय उपरोक्त प्रावधानों के विपरीत अधिक किया गया जोकि अनियमित है। अतः वर्णित अनियमितता का औचित्य स्पष्ट करते हुए इसे सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाने के अतिरिक्त आगामी वर्षों के दौरान उपरोक्त धारा के अनुरूप ही स्थापना व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाएः–

वित्त वर्ष	वर्ष के दौरान कुल व्यय (₹)	जितना व्यय स्थापना पर किया जा सकता था (कुल व्यय का 1/3) (क)(₹)	वर्ष के दौरान स्थापना पर व्यय किया गया वास्तविक व्यय (ख) (₹)	स्थापना पर किया गया अधिक व्यय (ख–क) (₹)
2015–16	89469365	29823122	41133846	11310724
2016–17	93166018	31055339	40810913	9755574
			कुल योग	**21066298**

20 पैन्शन एवं ग्रेच्युटी फंड

(i) पैन्शन एवं ग्रेच्युटी फंड से सम्बन्धित वित्तीय स्थिति का विवरण **परिशिष्ट "प"** के अनुसार निम्न प्रकार से हैः–

वित्त वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	कुल योग (₹)	भुगतान (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2015–16	142053.71	11999320	12141373.71	10939105	1202268.71

2016–17	1202268.71	13889184	15091452.71	14090018	1001434.71

दिनाक 31.3.17 को वित्तीय स्थिति/रोकड़ बही के अनुसार शेष	₹1001434.71
दिनांक 31.3.17 को बैंक खाते के अनुसार शेष	₹1001434.71
दिनांक 31.3.17 को वित्तीय स्थिति/रोकड़ बही तथा बैंक खाते के शेष में अन्तर	शून्य

(ii) नगर परिषद निधि से ₹173.42 लाख की पैन्शन तथा ग्रेच्युटी का अनियमित भुगतान

अंकेक्षण अवधि के दौरान पाया गया कि पैन्शन निधि में पर्याप्त राशि न होने पर सेवानिवृत कर्मचारियों को निम्न विवरणानुसार कुल ₹17342637 की पैन्शन तथा ग्रेच्युटी का भुगतान नगर परिषद निधि से अनियमित रूप से किया गया है **(परिशिष्ट "प–1")** क्योंकि वर्णित भुगतान नगर परिषद निधि की अपेक्षा पैन्शन तथा ग्रेच्यूटी निधि से किया जाना अपेक्षित है। अतः वर्णित अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए इसे सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा ₹17342637 की उचित स्त्रोत से प्रतिपूर्ति करके नगर परिषद निधि की भरपाई की जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाएः–

वित्त वर्ष	पैन्शन तथा ग्रेच्युटी पर व्यय (₹)	पैन्शन तथा ग्रेच्यूटी का अंशदान (₹)	नगर परिषद निधि से किया गया भुगतान (₹)
2015–16	10939105	3843318	7095787
2016–17	14090018	3843168	10246850
		योग	**17342637**

21 स्थापना

(क) श्रीमती वंदना, कम्युनिटी ओर्गेनाईजर (Community Organiser) को ₹5.98 लाख के वेतन व भत्तों का अधिक भुगतान

श्रीमती वंदना, कम्युनिटी ओर्गेनाईजर (Community Organiser) की सेवा पुस्तिका के अवलोकन पर पाया गया कि दिनांक 1.7.2012 से वह पे बैंड ₹5910–20200+1900 ग्रेड पे में ₹7180+1900 ग्रेड पे=₹9080 का वेतन आहरित कर रही थी तथा नगर परिषद सभा द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 23.4.2013 द्वारा उन्हें नगर परिषद राजगढ़ की तर्ज पर दिनांक 1.10.2012 से संशोधित पे बैंड ₹10300–34800+3200 ग्रेड पे का लाभ प्रदान किया

गया (सेवा पुस्तिका पृष्ठ संख्या 10 और 11) जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार, वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या फिन (पी0आर0)–8(7)–64/2010, दिनांक 27.9.2012 द्वारा अधिसूचित पद/सवर्ग संशोधित वेतन नियम, 2012 के अन्तर्गत न तो उक्त पद का संशोधित पे बैंड 10300–34800+3200 ग्रेड पे का लाभ अधिसूचित ही किया गया और न ही इसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत ही किया गया है। इस अनियमितता के कारण **परिशिष्ट "फ"** के अनुसार उन्हें ₹597972 के वेतन व भत्तों का अनियमित रूप से अधिक भुगतान किया गया। इस सम्बन्ध में गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 26.1 में भी आपत्ति उठाई गई थी परन्तु नगर परिषद द्वारा इस बारे कोई भी अपेक्षित कार्यवाही नहीं की गई बल्कि इसके विपरीत अधिक दर से भुगतान किया जाना जारी रखा गया है जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। अतः किए गए अधिक भुगतान को नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इसकी उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) कर्मचारियों को ₹1.08 लाख का वेतन व सेवा निवृति लाभों का अधिक भुगतान

नगर परिषद नाहन के कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं व अन्य सम्बन्धित अभिलेख का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि कर्मचारियों को निम्न विवरणानुसार वेतन व सेवा निवृति लाभों ₹108361 का अधिक भुगतान किया गया था इस सम्बन्ध में नियमानुसार तथ्यों सहित वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने हेतु कार्यकारी अधिकारी को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 5, दिनांक 20.3.2018 द्वारा अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः वेतन व भत्तों की अधिक भुगतान राशि को नियमानुसार या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इसकी उचित स्त्रोत से वसूली करके अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(1) पैन्शन के रूप में ₹0.65 लाख का अधिक भुगतान

श्री जय गोपाल, बेलदार दिनांक 31.9.2015 को नगर परिषद, नाहन से सेवा निवृत हुए कर्मचारी की सेवा पुस्तिका व अन्य सम्बन्धित अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि इनको अन्य सेवा निवृत कर्मचारियों की तरह Commutation of pension का भुगतान नहीं किया गया था जिसका कारण नगर परिषद की खराब वित्तीय स्थिति बताई गई। इसके पश्चात कर्मचारी द्वारा माननीय न्यायालय के माध्यम से ₹219862 की Commutation of

Pension की राशि नगर परिषद से दिनांक 24.2.2018 को प्राप्त कर ली गई परन्तु कर्मचारी को माह 10/2015 से 2/2018 तक भुगतान की गई Full Pension से पैन्शन के Commuted भाग का समायोजन नहीं किया था परिणामस्वरूप कर्मचारी को पैन्शन के रूप में निम्न विवरणानुसार ₹64844 का अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है। अतः वर्णित अनियमितता का तथ्यों सहित पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा पैन्शन के Commuted भाग की Restoration पैन्शन से Commuted भाग की Reduction की तिथि से 15 वर्ष उपरान्त करने के साथ–2 कर्मचारी को माह 3/2018 से Reduced Pensionm ₹3354 प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जाना भी सुनिश्चित किया जायेः–

Basic Pension ₹5590		**Pension Commuted (40%)₹2236**	**Reduced Pension ₹3354**
Period	**Full Pension paid (₹)**	**Reduced Pension Due (₹)**	**Excess payment (₹)**
10/2015 to 2/2018 (29 Months)	162110 (5590x29 months)	97266 (3354x29 months)	64844

(2) Gratuity and Leave Encashment ₹0.32 लाख का अधिक भुगतान

श्री शकूर अली, चपड़ासी दिनांक 31.3.2016 को नगर परिषद, नाहन से सेवा निवृत हुए कर्मचारी की सेवा पुस्तिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि इनको देय सेवा निवृति लाभों की गणना गलत मूल वेतन के आधार पर करने के कारण उन्हें निम्न विवरणानुसार ₹31805 की Gratuity and Leave Encashment का अधिक भुगतान किया गयाः–

राशि जो देय थी		**राशि जो भुगतान की गई (₹)**	**अधिक भुगतान (₹)**	
Gratuity	337538 (12330+14673 DA 119%) x12.5 times of emoluments (Qualifying service 25 years)	347663 (12700+15113 DA 119%) x12.5 times of emoluments (Qualifying service 25 years))	10125	अन्तिम मूल वेतन 10680+GP1650=12330 था जबकि अनियमित प्रकार से 11050+GP1650=12700 लिया गया
Leave Encashment	270030 (12330+14673 DA 119%)/30X300	291710 (13320+15851 DA 119%)/30X300	21680	अन्तिम मूल वेतन 10680+GP1650=12330 था जबकि अनियमित प्रकार से 11670+GP1650=13320 लिया गया
		योग	**31805**	

(3) अर्जित अवकाश को भुनाने पर ₹0.12 लाख का अधिक भुगतान

श्री बाल कृष्ण सैनी, सांख्यकी सहायक दिनांक 30.4.2015 को नगर परिषद, नाहन से सेवा निवृत हुए। कर्मचारी की सेवा पुस्तिका अवलोकन करने पर पाया गया कि इनके खाते में सेवा निवृति की तिथि को जमा 300 दिन के अर्जित अवकाश को गलत मूल वेतन के आधार पर भुना कर ₹11712 का अनियमित प्रकार से अधिक भुगतान किया गया था:—

सेवा निवृति को अर्जित अवकाश खाते में जमा दिन	अर्जित अवकाश को भुनाने पर जो राशि देय थी (₹)	राशि जो भुगतान की गई (₹)	अधिक भुगतान (₹)	टिप्पणी
300 दिन	476268 (22360+25267 DA 113%/30) X300	487980 (22910+25888 DA 113%/30) X300	11712	अन्तिम मूल वेतन 18560+GP3800=22360 था जबकि अनियमित प्रकार से 18510+GP4400=22910 लिया गया

(ग) कार्यकारी अधिकारी को वार्षिक वेतन वृद्धि व नई ACPS 4–9–14 के अन्तर्गत अनुचित लाभ प्रदान करने के कारण ₹1.13 लाख के वेतन व भत्तों का अधिक भुगतान

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि श्री सूरत सिंह नेगी, कार्यकारी अधिकारी की दिनांक 18.2.1999 को नगर परिषद चौपाल में सचिव के पद पर नियुक्ति हुई थी तथा इनकी वार्षिक वेतन वृद्धि प्रत्येक वर्ष पहली फरवरी (1st February every year) को देय होती है परन्तु वर्ष 2003 से इनकी वार्षिक वेतन वृद्धि लगातार एक जनवरी (1st January every year) से प्रदान की जा रही है जोकि अनियमित है। इसके अतिरिक्त नगर परिषद नाहन ने साधारण बैठक दिनांक 25.5.2015 के प्रस्ताव संख्याः 11 द्वारा अधिकारी को ACPS 4–9–14 के अन्तर्गत 4 वर्ष की सेवा हेतु दिनांक 1.1.2014 से उच्च ग्रेड पे व एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान किया गया जबकि वर्णित अधिकारी अपने सेवाकाल में पहले ही तीन Financial upgeadation/enhancements का लाभ प्राप्त कर चुके थे अर्थात प्रथम लाभ दिनांक 1.1.2003 से (Granted higher pay scale 6400–10640 (Revised scale 10300-34800+GP4200 from 1.1.2006) in place of 5800-9200 (Revised scale 10300-

34800+GP3800 from 1.1.2006) दूसरा लाभ दिनांक 18.2.2007 से (Granted 8 years ACPS under scheme 8-16-24-32) तथा तीसरा लाभ दिनांक 15.12.2009 से (promotion as Executive Officer) प्रदान किया गया था। इस प्रकार वित्त (वेतन संशोधन) विभाग के पत्र संख्याः फिन (पीआर) बी (7)–59/2010 दिनांक 7.7.2014 के अनुसार नई ACPS 4–9–14 के अन्तर्गत अधिकारी को तीन वित्तीय लाभों के अतिरिक्त चौथा लाभ देय नहीं था। अतः वर्णित अनियमितता के परिणामस्वरूप अधिकारी को ₹112850 को वेतन व भत्ते का अनियमित प्रकार से अधिक भुगतान किया गया जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "फ–1"** में दिया गया है। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 32, दिनांक 6.4.2018 का कोई भी प्रतिउत्तर अंकेक्षण समाप्ति तक नहीं दिया गया।

(घ) श्रेणी–4 के कर्मचारियों को 20 वर्ष की सेवा अवधि उपरान्त अतिरिक्त वेतन वृद्धि का गलत लाभ प्रदान करने के कारण ₹0.54 लाख के वेतन व भत्तों को अनियमित भुगतान

कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं के अंकेक्षण पर पाया गय कि श्रेणी–4 कर्मचरियों को 20 वर्ष की सेवा अवधि उपरान्त एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान किया गया था जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है क्योंकि वित्त (विनियम) विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या Fin ©B(7)-3/2012 दिनांक 15.12.12 द्वारा जारी अनुदेश/स्पष्टीकरण अनुसार उक्त लाभ तभी देय होगा यदि सम्बन्धित कर्मचारी देयता तिथि को श्रेणी–4 के वेतनमान में ही वेतन आहरण कर रहा हो। परन्तु **परिशिष्ट "फ–2"** में वर्णित श्रेणी–IV कर्मचारी 20 वर्ष की वेतन वृद्धि प्रदान करने की तिथि को श्रेणी–III के वेतनमान ₹5910–201200+GP1900 में वेतन आहरित कर रहे थे तथा नियमानुसार उन्हें 20 वर्ष की नियमित सेवा के उपरान्त विशेष वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ देय नहीं था। इस अनियमितता के कारण विभिन्न कर्मचारियों को उक्त **परिशिष्ट "फ–2" में** दिए विवरणानुसार ₹53892 लाख के वेतन का दिनांक 28.2.2018 तक अनियमित रूप से अधिक भुगतान किया जा चुका था। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 6 दिनांक 20.3.2018 का अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रतिउत्तर नहीं दिया गया।

(ङ) कर्मचारियों का गलत वेतन निधार्रण करने के कारण ₹0.17 लाख के वेतन व भत्तों का अधिक भुगतान

सेवा पुस्तिकाओं का अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि सर्व श्री बलविन्दर सिंह, वरिष्ठ सहायक व गुरविन्दर सिंह पुत्र प्यारा सिंह, बेलदार को गलत वेतन निर्धारण करने के कारण ₹16581 के वेतन व भत्तों का अधिक भुगतान किया गया था जिसका विवरण **परिशिष्ट "फ–3" में** दिया गया है। इस सम्बन्ध में कार्यकारी अधिकारी को जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 7 दिनांक 20.3.2018 का कोई भी प्रत्युतर अंकेक्षण की समाप्ति तक प्राप्त नहीं हुआ।

(च) मो0 अशरफ अली, वर्क सुपरवाईजर को गलत Grade Pay प्रदान करने के कारण ₹0.08 लाख के वेतन व भत्तों का अधिक भुगतान

वित्त विभाग (वेतन संशोधन) विभाग, हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या फिन (पीआर) बी (7)–51/98, दिनांक 15.12.1998 के पैरा 2 (vii) के अनुसार "An employee shall be entitled to a maximum of two placements (after 8 years and 32 years) in the higher scale and a maximum of two proficiency step-ups (after 16 and 24 years) in his entire service career under this scheme" किन्तु मो0 अशरफ अली की सेवा पुस्तिका का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि कर्मचारी दिनांक 31.1.1989 को वर्क सुपरवाईजर के पद पर नियुक्त हुआ था तथा Old ACPS Scheme 8-16-24-32 के अन्तर्गत ही लाभ प्राप्त करने के विकल्प का चयन किया था और दिनांक 13.1.2013 को 24 वर्ष की सेवा उपरान्त उनको एक वेतन वृद्धि के साथ next higher Grade Pay (₹1950 से ₹2000) भी प्रदान की गई जबकि उपरोक्त नियम अनुसार केवल एक वेतन वृद्धि ही देय थी तथा Next Higher Grade Paye ₹2000 देय नहीं थीं अतः वर्णित अनियमितता के परिणामस्वरूप कर्मचारी को ₹7956 के वेतन व भत्तों का अनियमित प्रकार से अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण **परिशिष्ट "फ–4"** में दिया गया है। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 38, दिनांक 6.4.2018 को कोई भी प्रतिउत्तर अंकेक्षण समाप्ति तक प्रस्तुत नहीं किया गया।

(छ) श्री सतीश चन्द, वन रक्षक को गलत दर से वेतन आहरण करने के कारण ₹0.04 लाख के वेतन व भत्तों का अधिक भुगतान

श्री सतीश चन्द, वन रक्षक की सेवा पुस्तिका का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि दिनांक 1.02.2012 से वह पे बैंड 5910–20200 में 10130+2400 ग्रेड पे=12530 का वेतन आहरित कर रहे थे। दिनांक 1.10.12 से उन्हें 3230 की संशोधित ग्रेड पे का लाभ स्वीकृत किया गया था (सेवा पुस्तिका पृष्ठ संख्या 10 और 11) जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार, वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या Fin (PR)-8(7)-64/2010 दिनांक 28.9.2012 के अनतर्गत दो वर्षों का नियमित सेवाकाल पूर्ण करने पर उन्हें 3230 की अपेक्षा 3200 की संशोधित ग्रेड पे दिनांक 1.10.12 से देय बनती थी। अतः इस अनियमितता के कारण अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्न विवरण अनुसार उन्हें ₹3880 के वेतन व भत्तों का अनियमित रूप से अधिक भुगतान किया गया है:–

अवधि	आहरित ग्रेड पे (प्रतिमाह ₹)	देय ग्रेड पे (प्रतिमाह)	अन्तर (₹)	महंगाई भत्ता (₹ में)/दर (%में)	अधिक भुगतान की राशि (₹)
01.03.13 to 30.06.13=4m	3230	3200	30	24/(80%)	216
01.07.13 to 31.12.136=6m	3230	3200	30	27/(90%)	342
01.01.14 to 31.06.14=06m	3230	3200	30	30/(100%)	360
01.07.14 to 30.12.14=06m	3230	3200	30	32/(107%)	372
01.01.15 to 30.06.15=6m	3230	3200	30	34/(113%)	384
01.06.15 to 31.12.15=06m	3230	3200	30	36/(119%)	396
01.01.16 to 30.06.16=06m	3230	3200	30	38/ (125%)	408
01.07.16 to 31.12.16=6,	3230	3200	30	39 /(130%)	414
01.01.17 to 30.06.17=06m	3230	3200	30	40/(134%)	420
01.07.17 to 28.02.18=8m	3230	3200	30	41/ (137%)	568
				Total	**3880**

22 यात्रा भत्ता दावा ₹0.16 लाख का अधिक भुगतान करना

NULM Secheme के अन्तर्गत एक्सपर्टस एवं कर्मचरियों को किए गए यात्रा भत्ते दावों के भुगतान का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि नगर परिषद NULM Project के अन्तर्गत एक्सर्पटस को यात्रा भत्ते दावों में Full Taxi भाड़े का भुगतान किया गया था जोकि हिमाचल सरकार वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या Fin ©-B(7)-1/2009-Loose dated 22.04.2016 द्वारा जारी यात्रा भत्ता नियम के पैरा 10 (1) (b) के प्रतिकूल है जिस के अनुसार यदि अधिकारी/कर्मचारी यात्रा के दौरान Taxi का उपयोग करता है तो उसको टैक्सी के भाडे का भुगतान ₹8 प्रति किलोमीटर की दर से किया जाना अपेक्षित है अतः वर्णित अनियमितता के कारण निम्न विवरणानुसार ₹15657 के यात्रा भत्ता का अधिक भुगतान किया गया है।

Vr.No./Date	Name of the Employee	amount of TA bill (₹)	Taxi fare paid (₹)	Journey Performed from to	total Kilometer/Rate per Kilo meter	Amount Due (₹)	Amount Excess Paid (₹)
13A/14.08.15	Sh.Shahid Ali	4500	3700	Nahan to Paonta and Ponta to Roorki and Back Nahan	284 @8	2272	1428
13C/14-08-15	KM.Vandana Sain (Urban Planner)	7141	4300	Shimla to Nahan	135@8	1080	3220
13E/14-8-15	Sh. Diwaker Kukreti, Capacity Building Speciallist	2015	1000	Nahan to Ponta	45@8	360	630
17/16-9-15	Sh. Shahid Ali, Infrastructure Specialist	5051	1000	Nahan to Ponta	45@8	360	630
17/16-9-15	Sh. Shahid Ali, Infrastructure Specialist	5051	2000	Nahan to Ponta	172@8	1376	624
Nil/16-9-15	Sh. Beldev Saini it cum me specialist	16748	3500	Nahan to Mashobra (shimla)	288@8	2304	1196
Nil/16-9-15	Sh. Baldev Saini it cum me specialist	16748	2850	Nahan to Solan & Back	174@8	1392	1458
Nil/16-9-15	Sh. Baldev Saini it cum me specialist	16748	3300	Nahan to Shimla & Back	280@8	2240	1060
Nil/16-9-15	Sh. Baldev Saini it cum me specialist	16748	1000	Nahan to Ponta & Back	90@8	720	280

Nil/16-9-15	Sh. Baldev Saini it cum me specialist	16748	1400	Nahan to Ponta & Back	90@8	720	680
71/24-10-16	Sh.Shugar Singh, Mamager Skill & Micro Enterprises	5400	1200	Nahan to Ponta & Back	90@8	720	480
71/24-10-16	Sh. Shugar Singh, Mamager Skill & Micro Enterprises	5400	3200	Nahan to Solan & Back	174@8	1392	1808
72/24-10-16	Sh. Vikash Kaushik SD	6700	1200	Nahan to Ponta & Back	90@8	720	480
72/24-10-16	Sh. Vikash Kaushik SD	6700	4500	Nahan to Rajgarh & Back	216@8	1728	1683
							15657

उक्त अनियमितता अंकेक्षण अधियाचना संख्या 26 दिनांक 4.4.18 द्वारा कार्यकारी अधिकारी के ध्यान में नियमानुसार उचित कार्यवाही करने हेतु लाई गई थी परन्तु अकेक्षण समाप्ति तक परिषद से कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः वर्णित अनियमितता का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से करके अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये तथा भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता पर अंकुश लगाया जाना भी सुनिश्चित किया जाये।

23 मकान किराया भत्ता व चिकित्सा प्रतिपूर्ति पर ₹23.82 लाख का अनियमित व्यय

अंकेक्षणाधीन अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 के दौरान नगर परिषद नाहन द्वारा अपने कर्मचरियों को मकान किराया भत्ता व चिकित्सा प्रतिपूर्ति का निम्न विवरणानुसार ₹2381734 का भुगतान किया गया था नियमानुसार इस प्रकार के भुगतान/व्यय करने से पूर्ण समय–2 पर समस्त कर्मचरियों से आवश्यक Joint Declarations and List of dependant family members के प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाने अपेक्षित है ताकि जिन कर्मचारियों के पति या पत्नी सरकारी/अर्ध–सरकारी विभाग, बोर्ड कारर्पोरेशन इत्यादि में कार्यरत्त हो तो उपरोक्त भुगतान दोनों में से किसी एक कर्मचारी द्वारा ही प्राप्त किया जाए। परन्तु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 17, दिनांक 27.3.2018 के प्रतिउत्तर में नगर परिषद द्वारा चर्चा के दौरान अवगत करवाया कि इस प्रकार की कोई भी Joint Declaration या List of dependant family members से सम्बन्धित प्रमाण प्राप्त नहीं किए गए थे जोकि गम्भीर वितीय अनियमितता है। अतः वर्णित अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा उपरोक्त भुगतान को उक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करके या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अनियमित

भुगतान की वसूली सम्बन्धित से करने के अतिरिक्त भविष्य में उक्त मदों के अन्तर्गत भुगतान अपेक्षित प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेः–

वर्ष	**लेखा शीर्ष**	**व्यय राशि (₹)**
2015–16	मकान किराया भत्ता (वेतन बिल रजिस्टर)	601820
	चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय (खाता बही पृष्ठ–82)	783164
2016–17	मकान किराया भत्ता (वेतन बिल रजिस्टर)	529565
	चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय (खाता बही पृष्ठ–103)	467185
	योग	**2381734**

24. बिजली के बिलों में ₹0.51 लाख के Sundry Charges के भुगतान सम्बन्धी अनियमितता

नगर परिषद द्वारा हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड को वाउचर संख्या 52, माह 10/15 ₹105865 व वाउचर संख्या 59 माह 09/16 ₹225165 के अन्तर्गत बिजली के बिलों का भुगतान किया था जिसका अंकेक्षण करने पर पाया गया कि इन बिलों में निम्न विवरणानुसार ₹51414 के Sundry Charges प्रभारित थेः–

क्र0सं0	**खाता सं0/बिल सं0**	**बिल की कुल राशि**	**प्रभारित Sundry charges की राशि (₹)**
1	11321107945	27571	2954
2	11321107946	23515	4094
3	11321107947	31703	3278
4	11321107948	15209	3360
5	11321107949	18000	2293
6	11321107950	19640	2124
7	11321107951	22997	3280
8	11321107952	20838	2830
9	11321107953	18852	1296
10	11321107954	1350	198
11	11321107945	29796	2954
12	11321107946	31995	4094

13	11321107947	20250	3278
14	11321107948	11300	3360
15	11321107949	21182	2296
16	11321107950	12629	2124
17	11321107951	28816	3280
18	11321107952	14062	2830
19	11321107953	11305	1296
20	11321107954	1350	0198
			51414

बिजली के बिलों में Sundry Charges प्रभारित करने के कारण न तो विद्युत बोर्ड द्वारा स्पष्ट किए गए थे और न ही नगर परिषद द्वारा इस सम्बनध में विद्युत बोर्ड से कोई स्पष्ट विवरण प्राप्त किया गया था जोकि अनियमित है क्येांकि परिषद द्वारा समय–2 पर बिजली के बिलों का विद्युत बोर्ड को भुगतान किया गया था। अतः नगर परिषद इस प्रकरण को हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से उठाकर ₹51414 के Sundry Charges प्रभारित किए जाने की औचित्यता स्पष्ट करवाए तदानुसार अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

25. सफाई एवं कचरा संग्रहण का कार्य बाहरी स्त्रोतों से करवाने के कारण ₹88.46 लाख का निष्फल व्यय

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद नाहन में सफाई कूड़ा कचरा संग्रहण एवं निपटान हेतु 42 सफाई कर्मचारी तैनात थे जिनके वेतन व भत्तों पर अंकेक्षणाधीन अवधि 01.04.2015 से 31.03.2017 के दौरान कुल ₹11013298 का व्यय किया गया था परन्तु अंकेक्षण को प्रस्तुत सम्बन्धित अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त वर्णित कार्य नगर परिषद द्वारा अपना स्टॉफ होते हुये भी बाहरी स्त्रोत से करवाया गया था जिसके लिए खाता बहियों के अनुसार वर्ष 2015–16 व 2016–17 में निम्न विवरणानुसार ₹8845599 का भुगतान ठेकेदारों को किया गया था जिसके कारण सफॉई कर्मचारियों के वेतन व भत्तों पर किया गया ₹11013298 का व्यय निष्फल प्रतीत होता है। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 25 दिनांक 4.4.2018 का कोई भी प्रतिउत्तर अंकेक्षण का प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः वर्णित अनियतिता का पूर्ण औचित्य स्पष्ठ किया जाए अन्यथा विभागीय सफाई कर्मचारियों की सेवाओं का पूर्ण उपयोग करने के उपरान्त ही बाहरी स्त्रोत

से सफाई कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करते हुए अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः–

वर्ष	खाता बही पृ0	राशि (₹)
2015–16	252	3703594
2016–17	314	5142005
	योग	**8845599**

26. जलपान (Refreshment) पर ₹0.30 लाख का अधिक व्यय करना

वित्त विभाग (व्यय नियन्त्रण–II) हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्याः फिन–एफ–(ए0)–(11)–2/2011 दिनांक 11.3.2014 द्वारा जारी Economy instructions के Annexure-A में वर्णित प्रावधानानुसार Hospitality & Enterainment Expenses पर जिला स्त्तर के अधिकारी विभिन्न बैठकों में एक समय में ₹5000 तथा वर्ष में कुल ₹25000 तक व्यय करने हेतु सक्षम है परन्तु नगर परिषद नाहन द्वारा निम्न विवरणानुसार जलपान (Refreshment) लेखा शीर्ष के अन्तर्गत बैठकों, मेलों व त्योहारों आदि पर विभिन्न मदों जैसे Dry fruits, laddoos, sweets, bands इत्यादि पर अंकेक्षणाधीन अवधि 1.4.2015 से 31.3. 2017 के दौरान ₹79632 का अत्याधिक व्यय किया गया जोकि उपरोक्त प्रावधानों में वर्णित सीमा से ₹29632 अधिक था इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 39, दिनांक 6. 4.2018 का कोई भी प्रतिउत्तर अंकेक्षण समाप्ति तक प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः वर्णित अनियमितता का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करके अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः–

वर्ष	लेखा शीर्ष	खाता बही पृ0	व्यय राशि (₹)
2015–16	Refreshment	23	34088
2016–17	Refreshment	14	45544
		योग	**79632**

27. लोक सम्पर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम की अपेक्षा सीधे तौर पर समाचार पत्रों को दिए गए विज्ञापनों पर ₹0.47 लाख का अनियमित व्यय

चयनित माह के भुगतान वाऊचरों का सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा निम्न विवरण अनुसार विज्ञापन छपवाने पर ₹47293 का व्यय किया गया थाः–

क्र0सं0	वा0सं0 व दि0	विज्ञापन की एजैन्सी, बिल सं0 व दिनांक	विज्ञापन की राशि (₹)	विज्ञापन का उद्देश्य/अभियुक्ति
1	30/5.10.15	MBM Advertising & PR Agency, Bill No. MBM/1656 Dated 27.4.15	5419	Quatation Notice
2	30/5.10.15	MBM Advertising & PR Agency, Bill No. MBM/1658 Dated 06.05.15	9030	Tender Notice
3	30/5.10.15	MBM Advertising & PR Agency, Bill No. MB No./1679 Dated 13.7.15	9030	Tender Notice
4	61/21.10.15	Himachal Dastak Media PVT. Ltd. Bill No. 49151 Dated 19.9.15	6000	Tender Notice
5	67/28.10.15	Divya Himachal Prakashan Pvt.Ltd. Kangra Bill No. 241577 dated 16.9.15	14814	Tender Notice
6	67/28.10.15	Divya Himachal Prakashan Pvt.Ltd. Kangra Bill No. 241577 dated 16.9.15	3000	Auction Notice
		total	**47293**	

विज्ञापनो पर किए गए उक्त व्यय का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशानुसार विज्ञापन DAVP दरों पर एवं हिमाचल प्रदेश लोक सम्पर्क विभाग के माध्यम से छपवाए जाने अपेक्षित थे परन्तु वर्णित प्रकरणो में इन अनुदेशों की अवहेलना करके विज्ञापन सीधे ही अखबारों में उच्च दरों पर छपवाए गए थे जोकि अनियमित है। अतः उक्त अनियमितता का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए उच्च सक्षम प्राधिकारी की विशेष स्वीकृति से नियमित करवाया जाये या फिर इस अनियमितता के कारण हुई वित्तीय हानि पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए उचित स्त्रोत से परिषद निधि की भरपाई की जाये। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 31 दिनांक 5.4.18 द्वारा कार्यकारी अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु

अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक परिषद से कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

28. निर्माण कार्य

नगर परिषद के निर्माण कार्य बिलों का सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने पर निम्न वर्णित अनियमिततायें पाई गई जिन्हें कार्यकारी अधिकारी के ध्यान में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 11, दिनांक 21.3.2018 द्वारा लाया गया था परन्तु इसका कोई भी प्रतिउत्तर अंकेक्षण समाप्ति तक प्राप्त नहीं हुआ। अतः वर्णित अनियमितताओं का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा यथोचित अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:–

(क) निर्धारित RD से अधिक कार्य मात्रा निष्पादित करने के कारण संविदाकार को ₹0.10 लाख का अधिक भुगतान

वाउचर संख्या 25, दिनांक 3.9.2016 ₹213050

कार्य का नामः	Providing & laying interlocking paver blocks from main road towards housing board colony in ward No. 5 of Nahan town
संविदाकार का नामः	श्री राकेश चौधरी
कार्य आबंटन पत्र संख्याः	जे0ई0एम0सी0एन0 / 2016–1765, दिनांक 23.6.2016
चलत बिलः	प्रथम एवं अन्तिम बिल
माप पुस्तिका संख्याः	36517 एवं 9354

उपरोक्त निर्माण कार्य की मद संख्या 3 "Providing & laying 80mm thick heavy duty precast cement concrete interlocking paver blocks etc. in all leads & lifts" को निर्धारित RD 240 से 360 तक=80 मी0 की लम्बाई में निष्पादित किया जाना था जैसा कि इस मद को निष्पादित करने से पूर्व मद संख्या 1 "Dressing the ground including cutting and filling up to 15cm" को भी 80 मी0 लम्बाई में ही निष्पादित करने से स्पष्ट होता है परन्तु उक्त मद संख्या की रिकार्ड प्रविष्टि में RD की लम्बाई 80 मी0 के स्थान पर 84 मी0 निष्पादित दर्शाई गई थी। इस प्रकार निष्पादित कार्य प्रमात्रा में RD 4 मी0 अधिक दर्शाए जाने के कारण निम्न विवरणानुसार संविदाकार को ₹9472 का अनियमित प्रकार से अधिक भुगतान किया गया है। अतः वर्णित अधिक भुगतान को या तो न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी वसूली संविदाकार से सुनिश्चित की जाए:–

मद सं0 व नाम	RD की लम्बाई में अन्तर	अधिक निष्पादित मात्रा	दर प्रति वर्ग मी0 (₹)	अधिक भुगतान (₹)
(3) Providing & laying 80 mm thick heavy duty precast cement concrete interlocking paver blocks etc. in all leads & lifts	4 मी0 (अनुबन्ध अनुसार 80 मी0 वास्तव में निष्पादित 84 मी0)	12.80 वर्ग मी0 (4x(3.20+3.20)/2)	740 प्रति वर्ग मी0	9472

(ख) सक्षम अधिकारी की प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति को Avoid करने हेतु ₹13.00 लाख कार्य को विभाजित करके एक ही संविदाकार को आबंटित करना

शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या यू0डी0–ए(3)5/2007, दिनांक 20.8.2010 के अनुसार नगरपालिकाओं के निर्माण कार्यों के व्यय से सम्बन्धित प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति की सीमा निर्धारित की गई है परन्तु निम्न विवरणानुसार ₹1280127 के निर्माण कार्य (जिसमें उक्त क्रम संख्या 1 में वर्णित कार्य भी शामिल है) को छः भागों में विभाजित करके एक ही संविदाकार श्री राकेश चौधरी को समान दरों पर कार्यकारी अधिकारी द्वारा आबंटित किया गय था। जिससे स्पष्ट होता है कि इस प्रकरण में उच्च अधिकारियों/सक्षम प्राधिकारी की प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति (Administative and Technical Sanction) को दरकिनार (Avoid) किया गया है जोकि उक्त नियमों की जान बूझकर अवहेलना करने के कारण गम्भीर अनियमितता है। अतः वर्णित अनियमितता का औचित्य स्पष्ट करते हुए इसे सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही निर्माण कार्यों का निष्पादन किया जाना सुनिश्चित किया जाएः–

क्र0सं0	वा0सं0/दिनांक	कार्य का नाम	RD	कार्य की कुल राशि (₹)	टिप्पणी
1	26/3.9.16	Providing & laying interlocking paver blocks from main road towards housing road towards housing board colony in ward No. 5 of Nahan town	0.800	213043	उक्त अधिसूचना अनुसार ₹5 से 10 लाख के कार्य से उत्त की प्रशासनिक स्वीकृति निदेशक,

2	–यथोपरि–	–यथोपरि–	80.170	214080	शहरी विकास विभाग से तथा ₹10 से 50 लाख से ऊपर के कार्य की तकनीकी स्वीकृति अधिशाषी अभियन्ता से प्राप्त की जानी अपेक्षित थी। परन्तु नगर पालिका द्वारा अपने स्तर पर ही कार्य का निष्पादन करवाया गया।
3	–यथोपरि–	–यथोपरि–	170.260	212186	
4	25/3.9.16	–यथोपरि–	260.340	213050	
5	–यथोपरि–	–यथोपरि–	340.420	213992	
6	–यथोपरि–	–यथोपरि–	420.510	213776	
			योग	**1280127**	

(ग) कार्य स्थल पर लाये गये पत्थरों की प्रमात्रा पर नियमानुसार ₹0.02 लाख की रॉयल्टी की वसूली न करना

उद्योग विभाग, जियोलोजिकल विंग, हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या 5–49/79 ind(Glg)Rules-2015 Vol-IV-1175, दिनांक 12.5.2015 व इसके साथ संलग्न अनुसूची के अनुसार निर्माण सामग्री जैसे स्टोन इत्यादि के खनन पर निर्धारित दरो पर रॉयल्टी देय है। नगर परिषद नाहन द्वारा संविदाकारों के साथ किए गए मानक अनुबन्धों अनुसार विभिन्न कार्यों में उपयोग की गई पत्थरों की मात्रा के लिये उक्त पत्रानुसार या तो फार्म एम0 प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था या नगर परिषद स्तर पर नियमानुसार रॉयल्टी की कटौती करके सम्बन्धित विभाग में जमा करवाई जानी अपेक्षित थी परन्तु निम्न वर्णित कार्यों में स्टोन वर्क के निष्पादन पर संविदाकारों से न तो एम0 फार्म प्राप्त किया गया था और न ही अपने स्तर पर इस सम्बन्ध में निम्न विवरणानुसार ₹1977 की रायल्टी की कटौती की गई थी जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। इस सम्बन्ध में कार्यकारी अधिकारी को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 8, दिनांक 21.3.2018 द्वारा अवगत करवाया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः वर्णित अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा देय राशि की संविदाकार से वसूली सुनिश्चित की जाएः–

(i) वाउचर संख्या 27, दिनांक 3.9.2016 ₹66526 कार्य का नामः C/O Retaining wall near house of Kulvinder, Mohalla Govind Garh in Ward No. 13 of Nahan Town (Phase-II) संविदाकार का नामः श्री विशाल कुमार, चलत बिलः प्रथम एवं अन्तिम बिल, माप पुस्तिका संख्या 36519 पृष्ठ 90 एवं 9354 पृष्ठ 65						रॉयल्टी की देय राशि (₹)
अनुबन्धित मद सं0	मद का विवरण	पत्थर की निष्पादित कार्य मात्रा	उपयोग की गई पत्थर की मात्रा	टनों में मात्रा	रॉयल्टी दर प्रति टन (₹)	
6	Stone filling behind retaining wall	4.69 cum	5.16 cum (4.69x1.10)	12.43 (5.16x2.41)	60	746
(i) वाउचर संख्याः 27, दिनांक 3.9.2016 ₹99014 कार्य का नामः C/O Retaining Wall near house of Kulvinder, Mohalla Govind Garh in ward No. 13 of Nahan Town (Phase-I) संविदाकार का नामः श्री विशाल कुमार, चलत बिलः प्रथम एवं अन्तिम बिल, माप पुस्तिका संख्याः 36519 पृष्ठ 94 एवं 9354 पृष्ठ 67						
6	Stone filling behind retaining wall	7.74 cum	8.51 cum (7.74x1.10)	20.51 (8.51x2.41)	60	1231
					कुल योग	**1977**

(घ) संविदाकार से ₹0.01 लाख के दण्ड की वसूली न करना

वाउचर संख्या 29, दिनांक 3.9.2016 ₹81101

कार्य का नामः	C/O Gali near Dhabon School, ward No. 1, Hanah
संविदाकार का नामः	श्री राकेश चौधरी
कार्य आबंटन पत्र संख्याः	जे0ई0एम0सी0एन0/81/15, दिनांक 17.11.2015
चलत बिलः	प्रथम एवं अन्तिम बिल
माप पुस्तिका संख्याः	9355

उपरोक्त निर्माण कार्य के आबंटन पत्र दिनांक 17.11.2015 की शर्तों के अनुसार कार्य को आबंटन पत्र जारी होने के 15 दिन बाद अर्थात 3.12.2015 से प्रारम्भ तथा 2 माह में दिनांक 3.2.2016 को समाप्त किया जाना अपेक्षित था तथा कार्य पूर्ण करने में विलम्ब हेतु

₹119 प्रतिदिन की दर से अधिकतम ₹1194 के दण्ड की वसूली की जानी अपेक्षित थी। माप पुस्तिका संख्या 9355 के पृष्ठ 80 पर कार्य प्रारम्भ की तिथि 3.3.2016 तथा पूर्ण करने की तिथि 1.4.2016 दर्ज की गई थी जिससे स्पष्ट विदित होता है कि निर्माण कार्य को निर्धारित तिथि 3.2.2016 से लगभग दो माह उपरान्त दिनांक 1.4.2016 को पूर्ण किया गया परन्तु अनुबन्ध की शर्तानुसार विलम्ब दण्ड ₹1194 की वसूली संविदाकार से नहीं की गई थी जोकि अनियमित है। उपरोक्त अनियमितता कार्यकारी अधिकारी के ध्यान में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 9, दिनांक 21.3.2018 द्वारा लाई गई थी परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआं। अतः वर्णित अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा संविदाकार से ₹1194 के दण्ड की वसूली सुनिश्चित की जाए।

(ङ) निर्माण कार्य हेतु सीमेंट बिना अनुमति के खुले बाजार से क्रय करना

वाउचर संख्या 27, दिनांक 3.9.2016 ₹126900 (फेज–I ₹84, 738+फेज–II ₹42, 162)

कार्य का नामः	C/O Retaining wall near house of Sh. Kulvinder Singh in Mohalla Govindgarh, Ward No. 13, Nahan (Phase-I & II)
संविदाकार का नामः	श्री विशाल कुमार
कार्य आबंटन पत्र संख्याः	जे0ई0एम0सी0एन0/2016–1765, दिनांक 23.6.2016
चलत बिलः	प्रथम एवं अन्तिम बिल
माप पुस्तिका संख्याः	36519

नगर परिषद द्वारा उक्त निर्माण कार्य हेतु विभागीय स्टोर से सीमेंट की आपूर्ति संविदाकार को की जानी थी परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि सीमेंट स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ–99 पर इंडेंट संख्या 3611, दिनांक 11.4.2016 द्वारा फेज–I के कार्य के लिये 50 सीमेंट बैग जारी किए गये जिसे फेज–II के कार्य में उपयोग कर लिया गया और फेज–I के कार्य के लिये वास्तव में संविदाकार द्वारा बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के खुले बाजार से मैसर्ज पवन ट्रेडिंग कम्पनी, नजदीक पैट्रोल पम्प, नाहन के बिल संख्या 1859, दिनांक शून्य के अन्तर्गत 75 सीमेंट बैग (75X340 प्रति बैग=25500) क्रय करके उपयोग किये गये जोकि गम्भीर अनयमितता है क्योंकि सीमेंट स्टॉक रजिस्टर के अनुसार परिषद के पास पर्याप्त मात्रा में सीमेंट उपलब्ध था। इस प्रकार बिना किसी औचित्य के फेज–I के कार्य हेतु जारी सीमेंट फेज–II के कार्य में उपयोग करना तथा फेज–I के कार्य के लिये खुले बाजार से सीमेंट क्रय करना संदिग्ध प्रतीत होता है। इस सम्बनध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 10, दिनांक 21.3.2018 द्वारा कार्यकारी अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही

करने हेतु अवगत करवाया गया था किन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः तथ्यों सहित वास्तविक स्थिति स्पष्ट करते हुये सीमेंट के अनियमित क्रय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाकर अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(च) वैध दर संविदा (Rate Contract) के बिना ₹0.42 लाख का स्टील क्रय करना

वउचर संख्या 33, दिनांक 5.9.2016 द्वारा निम्न विवरणानुसार ₹42372 के स्टील का क्रय हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित व दिनांक 30.9.15 तक वैध Rate Contract पर M/S Saloo Tor Pvt. Ltd. से इस Undertaking (प्रतिलिपि **परिशिष्ट "भ"** पर संलग्न) के आधार पर किया गया है कि यदि नई दरों में कोई अन्तर होगा तो अधिक प्राप्त राशि को वापिस कर दिया जाएगा परन्तु उक्त वर्णित नवीनतम दर संविदा की प्रति अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं की गई जिसके अभाव में उक्त भुगतान का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 13, दिनांक 23.3.2018 का नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी प्रतिउत्तर नहीं दिया गया। अतः अपेक्षित दर संविदा (Rate Contract) की प्रति आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु उपलब्ध करवाई जानी सुनिश्चित की जाये।

आपूर्तिकर्ता	**बिल सं0/दिनांक**	**स्टील**	**मात्रा (एम0टी0)**	**पुरानी दर (प्रति एम0टी0)**	**राशि (₹)**
साबू टोर स्टील लि0 त्रिलोकपुर रोड, काला अम्ब–173030	485/23.6.16	8 एम0एम0	0.200	36654	7330.80
		10 एम0एम0	0.400	35807	14322.80
		12 एम0एम0	0.400	35384	14153.60
				जोड़	35807.20
				बी0ई0डी0 12.50%	4475.90
				वैट 5%	2014.00
				ए0जी0टी0 @ ₹75 प्रति एम0टी0	75.00
				कुल जोड़	**42372.10**

(छ) Earnest Money/Security की रोकड़ बही अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करना

अंकेक्षण को प्रस्तुत निम्न वर्णित बैंक खातों की पास बुक का अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि इसमें दिनांक 31.3.2017 को संविदाकारों को देय Earnest Money/Security की ₹3499826.54 जमा थी तथा जिसके लिए मुख्य रोकड़ बही से अलग रोकड़ बही का निर्माण किया बताया गया है परन्तु वर्णित उक्त रोकड़ बही व पास बुकों का कोई भी सन्दर्भ/अभिलेख आज तक अंकेक्षण को प्रस्तुत ही नहीं किया गया है जोकि गम्भीर अनियमितता है जिसके कारण किसी भी वित्तीय अनियमितता की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 24, दिनांक 4.4.2018 द्वारा भी Earnest Money/Security की रोकड़ बही अंकेक्षण मे प्रस्तुत करने बारे नगर परिषद को अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए सम्बन्धित रोकड़ बही (अवधि 4/2015 से 3/2017) को आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए:–

क्र0सं0	बैंक का नाम	बचत खाता सं0	दिनांक 31.3.17 को जमा अन्तशेष
1	भारतीय स्टेट बैंक, शाखा नाहन	11128707638	989752.54
2	हि0प्र0 राजय सहकारी बैंक सीमित, शाखा नाहन	55910117293	2510074.00
		योग	**3499826.54**

(ज) गलत गणना के कारण संविदाकारों को ₹0.02 लाख का अधिक भुगतान

ठेकेदार का नामः– Sh.Sukhvinder Singh

वउचर संख्याः– 26, दिनांक 11.5.15=₹557423

कार्य का नामः– P/F of interlocking tiles on work shop road in ward No. 6 of Nahan Town (RD 300 to RD 360)

चलत बिल संख्याः– 1^{st} & Final

माप पुस्तिका संख्याः– 36524, Page No. 84 to 90

आबंटन पत्रः– 22/15 dated 07.05.2015

उक्त निर्माण कार्य की मद संख्या 3/4 (माप पुस्तिका संख्या 36524, पृष्ठ 86, abstract of cost) "Providing mild steel/for steel reinforcement for RCC work including bending binding and placing in position complete up to floor two level Tor steel including carriage of materials for all lead and lifts" की कुल निष्पादित कार्य प्रमात्रा 495.50 कि0ग्रा0 का ₹65 प्रति किलो की दर से संविदाकार को ₹32208 का भुगतान किया गया था। इस कार्य की माप पुस्तिका संख्या 36524, पृष्ठ 84 से 90 तक पर दर्ज विस्तृत रिकार्ड प्रविष्टियों का अंकेक्षण करने पर विदित हुआ कि निम्न विवरण अनुसार गणना में त्रुटि के कारण 26.78 कि0ग्रा0 प्रमात्रा हेतु ₹1741 का संविदाकार को अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली अब सम्बन्धित उचित स्त्रोत से सुनिश्चित की जाएः–

कार्य मद का नाम व सं0	**गणना जिसका भुगतान किया गया**	**सही गणना जिसका भुगतान किया जाना चाहिए था**	**अधिक भुगतान की कार्य प्रमात्रा**	**दर प्रति कि0ग्रा0 (₹) में**	**अधिक भुगतान राशि (₹)**
Providing mild steel/tor steel reinforcement for RCC work including bending and placing in position complete up to floor two level Tor steel including carriage of materials for all lead and lift	dia 100 RHS 1x3x2x21.60=129.60rmt 1x2x2x15.00=060.00rmt 1x2x2x15.00=0.60 rmt 1x2x2x3.40=13.60 rmt LHS 1x2x2x15.00=60.00rmt 1x2x2x15.00=0.60.00 rmt 1x2x2x15.00=0.60.00 rmt 1x2x2x10.00=040.00 rmt Total =483.20 rmt Striupps 8mm dia RHS 1x106x105=159rmt 1x65x1.00=165rmt LHS 1x172x1.00=rmt Total=496 rmt 10mmdia=183.20rmtx0.62-299.58 kgs 8mmdia=496 rmtx0.395=195.92 Kgs Total 495.50 Kgs	1 dia 10mm RHS 1x2x2x21.60=086.40 rmt 1x2x2x15.00=0.60.00rmt 1x2x2x15.00=060.00 rmt 1x2x2x3.40=013.60 rmt LHS 1x2x2x15.00=060.00 rmt 1x2x2x15.00=0.60.00 rmt 1x2x2x15.00=060.00rmt 1x2x2x10.00=040.00 rmt Total =440.00 rmt Striupps 8mm dia RHS1x106x105=159 rmt 1x165x1.00=165 rmt LHS1x172x21.00=172 rmt Total 496 rmt 10 mm dia=440.00 rmtx0.62=272.80 Kgs 8mmdia=496rmtx0.395=195.92 Kgs Total=468.72 Kgs	26.78 Kgs	65	1741

उक्त वर्णित अनियमितता अंकेक्षण अधियाचना संख्या 23 दिनांक 5.4.18 द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु कार्यकारी अधिकारी के ध्यान में लाई गई थी परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक नगर परिषद से कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

(झ) गलत गणना के कारण संविदाकारों को ₹0.24 का अधिक भुगतान

संविदाकार का नामः– Sh. Mahesh Thakur

वाउचर संख्याः– 77 दिनांक 3.10.15 ₹119232

कार्य का नामः– C/O Retaining wall near the H/O Sh. Sukh Ram etc. in Mohalla Amarpur in W.RNo. 5 of Nahan Town

चलत बिल संख्याः– 1st & Final

माप पुस्तिका संख्याः– 9351, Page No. 54 to 57

आबंटन पत्रः– JE MCN-46/15 Dt. 08.09.15

(i) उक्त निर्माण कार्य की मद संख्या 4 (माप पुस्तिका संख्याः 9351, पृष्ठ 57, Abstract of cost) LProviding & laying cement concrete 1:5:10 (1 cement 5 sand 10 graded stone aggregate 40 mm nominal size) with 15% plum and curing complete excluding the cost of form work in retaining walls/breast walls the size of plums shall be 150 mm to 300mm as per HPPWD, including carrage of materials for all lead and lift by manual labour or mechanical transport" की कुल कार्य प्रमात्रा 31.20 m3 का ₹3450 प्रति m3 की दर से संविदाकार को ₹107640 का भुगतान किया गया था। इस कार्य की माप पुस्तिका संख्या 9351, पृष्ठ 57 तक पर दर्ज विस्तृत रिकार्ड प्रविष्टियों का अंकेक्षण करने पर विदित हुआ कि निम्न विवरण अनुसार गणना में त्रुटि के कारण 5.02m3 प्रमात्रा हेतु ₹17319 का संविदाकार को अधिक भुगतान किया गया था जिसका या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा ₹17319 की वसूली सम्बन्धित उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाएः–

कार्य मद का नाम व सं0	गणना जिसका भुगतान किया गया (cum)	सही गणना जिसका भुगतान किया जाना चाहिए था (cum)	अधिक भुगतान की कार्य प्रमात्रा (cum)	दर प्रति घन मी0 (₹)	अधिक भुगतान की राशि (₹)
"Providing & laying cement	1x1x1.20+0.60/2x1.70=1.53	1x1x1.20+1.70x0.60=0.87/2	5.02m3	3450	17319

concrete 1:5:10 (1 cement: 5 sand:10 graded stone aggregate 40 nominal size)with 15% plum and curing complete excluding the cost of form work in retaining walls/ breast walls the size of plums shall be 150 mm to 300mm as per HPPWD, including carrage of materials for all lead and lift by manual labour or mechanical transport."	1x1x6.70x(1.20+1.20 +0.60)/30(23.00+ .15)/2=17.25 1x1x3.90x(1.20+1.80 +0.60)/3x(3.15+4.20) /2=12.42 Total=31.20 m3	1x1x6.70x(1.20+1.20)/ 2x(2.00+3.15)0.60/2=1 2.42 1x1x3.90x(1x20+1.80)/ 2x3.15+4.20)/2x0.60=1 2.89 Total 26.18m3			

(ii) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निर्माण कार्य मद "stone filling behind retaining wall/protection wall, including carriage of materials for all leads and lift by annual labour or mechinal transport का निष्पादन नहीं किया गया था जबकि इस मद के निष्पादन बिना Retaining wall के कार्य को पूरा नहीं किया जा सकता। अतः वर्णित अनियतिताओं की पूर्ण छानबीन करवाने के उपरान्त अंकेक्षण को वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाये।

(iii) इस निर्माण कार्य के लिए नगर परिषद द्वारा indent No. 3551 dated 1.10.15 के अन्तर्गत 85 bag cement जारी किये गये थे जिसके विरूद्ध निर्माण कार्य में कुल 83 बैग (78.98 cement bag की खपत तथा 5% variatation cement) का उपयेाग होना था तथा इस प्रकार शेष 2 बैग cement संविदाकार से वापिस लेकर नगर परिषद स्टोर में जमा किये जाने थे या फिर संविदाकार के भुगतान बिल से निर्गम दर से दोगुनी दर से (Double of issue rate) +1080 (270x2x2) की वसूली की जानी अपेक्षित थी परन्तु संविदाकार से ₹270 प्रति

बैग की दर से केवल ₹540 की ही वसूली की गई। अतः संविदाकार से ₹540 की वसूली सुनिश्चित करके नगर परिषद निधि में जमा की जानी सुनिश्चित की जाये।

उक्त क्रम संख्या (1) में वर्णित अनियमितता के फलस्वरूप निम्न विवरणानुसार निर्माण कार्य में 11.99 cement बैग की अधिक दर्शाई गई जिसका मूल्य निर्गम दर से दोगुनी दर अनुसार ₹6479 बनता है जिसकी वसूली भी सविदाकार से सुनिश्चित की जाएः–

मद	जितनी अधिक मात्रा ली	जितनी अधिक खपत दर्शाई गई	दर (₹)	वसूली योग्य राशि (₹)
Providing & laying cement concrete 1:5:10 (1 cement 5 sand 10 graded stone aggregate 40 mm nominal size)) with 15% plum and curing complete excluding the cost of form work in retaining walls/breast walls the size of plums shall be 150 mm to 300mm as per HPPWD including for all lead and lift by manual labour or mechanical transport	5.02 m3	11.99 बैग	270 doble rate I,e,540	6478.81

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 28 दिनांक 4.4.18 द्वारा कार्यकारी अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक नगर परिषद से कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

(ञ) गलत गणना के कारण संविदाकारों को ₹0.43 लाख का अधिक भुगतान

ठेकेदार का नामः– Sh. Mohan Singh Thakur

वाउचर संख्याः– 27, दिनांक 3.10.15 ₹579377

कार्य का नामः–C/O drain from delhi gate to boys S.S. School in ward No. 6 of Town Hall.

च्लत बिल संख्याः– 1st & Final

माप पुस्तिका संख्याः– 36522, पृष्ठ 75 से 85

उक्त निर्माण कार्य की मद संख्याः 5/4 (माप पुस्तिका संख्या 36522, पृष्ठ–82 Abstract of Cost) "P/L CC 1:3:6 (1 cement 3sand 6 graded crused stone aggregate 20 mm nominal size) and curing complete excluding the cost of form work-in wall i/c attached buttresses pilaster there caps and bases strings coursrs etc. up to floor two level i.c. carriage of material for all leads and lift." की कुल निष्पादित कार्य प्रमात्रा 24.09 m3 का ₹3900 प्रति घन मीटर की दर से संविदाकार को ₹93951 का भुगतान किया गया था। इस कार्य की माप पुस्तिका संख्या 36522, पृष्ठ 76 से 81 पर दर्ज विस्तृत रिकार्ड प्रविष्टियों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरण अनुसार गणना में त्रुटि के कारण 11.13m3 कार्य प्रमात्रा हेतु ₹43407 का संविदाकार को अधिक भुगतान किया गया था जिसका नियमानुसार या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा वर्णित अधिक भुगतान की वसूली अब सम्बन्धित उचित स्त्रोत से करके नगर परिषद निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाएः–

कार्य मद का नाम व सं0	गणना जिसका भुगतान किया गया	सही गणना जिसका भुगतान किया जाना चाहिए था	अधिक भुगतान की कार्य प्रमात्रा	दर प्रति घन मी0 (₹)	अधिक भुगतान (₹)
"P/L CC 1:3:6 (1 cement 3 sand 3 graded crused stone aggregate 20 mm nominal size) and curing complete excluding the cost of form work in wall i/c attached buttresses pilaster and there caps and bases sterings courses etc. upto floor two level i/ccarriage of material for all leads and lift.	6x1x15(.23+.15)/2..45=15.39m3 1x2x15(0.23+0.15)/2x0.45=05.13m3 1x1x10.20(0.23+0.15)/2x0.45=1.74 m3 Total 22.26 m3	6x1x15 (0.23+0.15)/2x0.45=7.69m 1x2x15(0.23+0.15)/2x0.45 =2.57m3 1x1x10.20(0.23+0.15)/2x0.45=0.87 m3 Total =11.13 m3	11.13 m3	3900	43407

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 27 दिनांक 4.4.18 द्वारा कार्यकारी अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अनुरोध किया गया था किन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक नगर परिषद से कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

(ट) निर्माण कार्यों में मानक दर पर सामग्री का उपयोग न करके उससे कम सामग्री का उपयोग करने के फलस्वरूप निर्माण कार्यों को निम्न स्तर पर (Substandard) करवाने बारे

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा निम्न विवरणानुसार संविदाकारों से निर्माण कार्यों में Works Rules में निर्धारित मानक दर की अपेक्षा कम निर्माण सामग्री का उपयोग करके निष्पादित करवाये गए जोकि अनियमित है क्योंकि इससे घटिया निर्माण कार्य के निष्पादन की सम्भावनाओं से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः वर्णित अनियमितता

का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाएः–

वा0सं0 / दि0	निर्माण कार्य का नाम	संविदाकार का नाम	जितना cement उपयोग किया(बैग)	नियमानुसार 5% (+), (-) करने पर जितना cement उपयोग होना था	निर्माण कार्य में वास्तविक में जितना cement उपयोग किया (बैग)	जितना cement कम उपयोग किया (बैग)
27/3-10-15	C/O drain from transformer up to police booth in ward No. 6 of Nahan Town	Sh. Mohan Singh	213.04	202	190	12
27/3-10-15	C/O drain from transformer up to police booth in ward No. 6 of Nahan Town	Sh.Mohan Singh	246.87	234.52	210	25

(ठ) संविदाकारों के भुगतान बिलों से 1% Lab. Cess ₹0.03 लाख की कटौती को सम्बन्धित विभाग में कम जमा करवाना

नगर परिषद के चयनित माह 10/15 के व्यय वाउचरों का अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि नगर परिषद ने वाउचर संख्या 48 दिनांक 19.10.15 द्वारा संविदाकार के भुगतान बिलों से माह 4/2015 से 9/2015 तक के दौरान की गई 1% Labour cess की कटौती ₹69649 को सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया गया था जबकि सम्बन्धित खाता बही (Ledger) के अनुसार यह ₹72522 बनती थी। परिणामतः ₹2873 सम्बन्धित विभाग में कम जमा करवाई गई जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा पूर्ण छानबीन करके ₹2873 को सम्बन्धित विभाग में शीघ्र जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि भविष्य में किसी दण्डात्मक कार्यवाही से बचा जा सके।

29. अस्थाई अग्रिम ₹1.55 लाख का समायोजन न करना

चयनित माह 9/2016 के भुगतान वाउचरों का अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि निम्न वर्णित वाउचरों द्वारा ₹154517 के अस्थाई अग्रिमों भुगतान किया गया था। इन राशियों के समायोजन बिल/वाउचर व अन्य सम्बन्धित अभिलेख/स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किए गए। इस सम्बन्ध में जारी अधियाचना संख्या 33, दिनांक 6.4.2018 का

कोई भी प्रतिउत्तर अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया जोकि गम्भीर चिन्ता का विषय है। अतः वर्णित अस्थाई अग्रिमों का शीघ्र समायोजन करके अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

क्र0सं0	वा0सं0 / दि0	व्यक्ति / संस्था जिसे अग्रिम दिया गया	अग्रिम राशि का उद्देश्य	अग्रिम राशि (₹)
1	40 / 12.9.16	श्री अजय गर्ग, सेनीटरी इंस्टेक्टर	दिनांक 13.9.2016 को वामन द्वावशी मेले में कुश्तियों के आयोजन हेतु	80000
2	67 / 30.9.16	मै0 कृष्णा एग्रीकल्चर टूल्स, प्लॉट नं0 144, Ind Area, फेज–I पंचकुला, हरियाणा–134113	Fogging Machine, Grass cutting Machine etc.	74517
			योग	₹154517

30. वाहन मे भरे गये डीजल को माहवार औसत की गणना में न लेने के परिणामस्वरूप ₹0.07 लाख के डीजल का सम्भावित दुर्विनियोजन

(क) वाहन संख्या एच0पी0–18–381 जीप की लॉग बुक का उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान निम्नलिखित अनियमितताऐं पाई गई जिनका यथोचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः–

(i) माह 09 / 2015 (लॉगबुक पृष्ठ 131) में वाहन हेतु कुल 267.96 लीटर डीजल क्रय किया गया था किन्तु माह के अन्त में केवल 227.96 लीटर डीजल की खपत दर्शाई गई थी जिसके कारण 40 लीटर तेल का बकाया कम दर्शाया गया था तथा जिसे अगले माह के आरम्भिक शेष में कम अग्रेणित किया गया था जिसके फलस्वरूप 40 लीटर डीजल, जिसका मूल्य ₹1869.20 (40 ली x₹46.73) बनता है, का दुर्विनियोजन किया गया प्रतीत होता है। अतः वर्णित अनियमितता का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा ₹1869.20 की वसूली सम्बन्धित उचित स्त्रोत से सुनिश्चित की जाए।

(ii) इसी प्रकार माह 10 / 2015 (लॉग बुक पृष्ठ 13) में वाहन हेतु कुल 344.41 लीटर डीजल क्रय किया गया था किन्तु माह के अन्त में केवल 300 लीटर डीजल की खपत ही औसत गणना में लिया गया था तथा इस प्रकार माह 10 / 2015 में शेष 44 लीटर डीजल को अगले माह 11 / 2015 में आरम्भिक शेष के रूप में अग्रेषित करके गणना में नहीं लिया

गया था। जिसके फलस्वरूप इस माह में भी 44 लीटर डीजल जिसका मूल्य ₹2056.12 (44 ली0x₹46.13) बनता है, का सम्भावित दुर्विनियोजन किया गया प्रतीत होता है जिसे पूर्ण छानबीन उपरान्त या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा वर्णित राशि की सम्बन्धित उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित की जाए।

(iii) लॉग बुक पृष्ठ–134 के अनुसार वाहन द्वारा दिनांक 7.10.15 को तय दूरी 35 किलोमीटर बनती थी जबकि वाहन चालक द्वारा 40 किलोमीटर दूरी तय की गई दर्शाई गई थी जिसके फलस्वरूप 5 किलोमीटर दूरी अधिक दर्शाने के कारण औसत के आधार पर एक लीटर डीजल जिसका मूल्य 46.73 बनता है, का सम्भावित दुर्विनियोजन किया गया प्रतीत होता है, जिसे पूर्ण छानबीन उपरान्त या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा वर्णित राशि की सम्बन्धित उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित की जाए।

(iv) माह 11/2015 (लॉगबुक पृष्ठ 134 से 136 में वाहन हेतु कुल 354.48 लीटर डीजल क्रय किया गया था किन्तु माह के अन्त में केवल 289 लीटर डीजल ही गणना में लिया गया तथा यथानुसार इस माह में वाहन की तेल खपत की गणना 236 लीटर डीजल को लेकर की गई थी और तेल का शेष 53 लीटर दर्शाकर अगले माह के आरम्भिक शेष के रूप में लिया गया था। अतः इस अनियमितता के परिणामस्वरूप कुल 65.48 लीटर डीजल की कम गणना करने के कारण ₹3060 (65.48 लीटर x ₹46.73 प्रति लीटर की दर से) के डीजल का सम्भावित दुर्विनियोजन किया गया प्रतीत होता है। जिसे पूर्ण छानबीन उपरान्त या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा वर्णित राशि की सम्बन्धित उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित की जाए।

(v) माह 1/2016 में opening reading 19554 तथा closing reading 21185 दर्शाई गई थी जिसके अनुसार इस माह में 1631 किलोमीटर वाहन का उपयोग किया गया था जबकि लॉगबुक में माह 1/2016 में तय दूरी 1676 दर्शाई गई थी जिसके फलस्वरूप 45 किलोमीटर तय दूरी अधिक दर्शाई गई है, जिसके परिणामस्वरूप गाड़ी की औसत के आधार पर 9 लीटर डीजल (45कि0ग्रा0/5कि0मी0 प्रति ली0) जिसका मूलय ₹421 (9ली x ₹46.73) बनता है, का सम्भावित दुर्विनियोजन किया गया प्रतीत होता है।

(ख) वाहन संख्या एचपी–18–4781 की लॉग बुक का उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि माह 06/2015 (लॉग बुक पृष्ठ 131) में वाहन हेतु कुल 142.35 लीटर डीजल क्रय किया गया था किन्तु माह के अन्त में

केवल 130.35 लीटर डीजल ही गणना में लिया गया था जिसके अनुसार 12 लीटर तेल बकाया में था परन्तु इस बकाया तेल को अगले माह में कुल तेल के साथ जमा न करके केवल उस माह में डलवाये कुल तेल 116.64 लीटर को लेकर वाहन की डीजल खपत की औसत ली गई थी। अतः इस अनियमितता के परिणामस्वरूप कुल 12 लीटर डीजल की कम गणना करने के कारण ₹578 (12 लीटर x 48.16 प्रति लीटर की दर से) के डीजल का सम्भावित दुर्विनियोजन किया गया प्रतीत होता है।

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 34 व 40 दिनांक 6.4.18 द्वारा कार्यकारी अधिकारी को उक्त वर्णित अनियमितताओं का औचित्य स्पष्ट करने हेतु सूचित किया गया था किन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक नगर परिषद से कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः वर्णित अनियमितताओं की पूर्ण छानबीन उपरान्त सम्भावित दुर्विनियोजन डीजल के मूल्य की राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके परिषद निधि में जमा करवाई जानी की जाए।

(ग) लॉग बुकों से सम्बन्धित विविध अनियमितताएं

(1) कार्यकारी अधिकारी द्वारा **परिशिष्ट "ब"** में वर्णित विभिन्न वाहनों की उपलब्ध करवाई गई लॉग बुको का ंअकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि वाहनों द्वारा विभिन्न स्थानों तक तय की गई दूरी को एक मुश्त दर्शाया गया था जोकि अनियमित है क्योंकि नियमानुसार लॉग बुक में वाहन द्वारा Point to Point तय प्रत्येक दूरी को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना अपेक्षित था तथा ऐसा न करके वाहन द्वारा तय दूरी की औचित्यता स्पष्ट नहीं होती। अतः इस अनियमितता का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा वाहन द्वारा प्रत्येक तय दूरी का लॉग बुकों में स्पष्ट रूप में विवरण दर्शाकर तय की गई कुल दूरी की सत्यापना सक्षम अधिकारी से करवाई जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही लॉग बुकों का रख–रखाव सुनिश्चित करते हुए अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(2) वाहनों की तय औसत से कम औसत दर्शाने के कारण ₹1.09 लाख का अनियमित व्यय

कार्यकारी अधिकारी द्वारा **परिशिष्ट "ज"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार विभागीय गाड़ी संख्या (जीप) एच0पी0–18–0381 Dumper Placer एच0पी0–18–4781, एच0पी0–71–1736 व ट्रेक्टर एच0पी0–18–4935 की मासिक तेल खपत क्रमशः 5.5, 3.86, 3.65 व 3.60 कि0मी0 प्रति लीटर/घण्टे निर्धारित की गई थी किन्तु लॉग बुकों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न वर्णित माह में प्रापत औसत

निर्धारित औसत से कम प्राप्त हुई थी जिसके कारण 2272.24 लीटर डीजल जिसका औसतन ₹48.16 प्रति लीटर की दर से मूल्य ₹109431 (₹48.16 ग 2272ण्24 लीटर) बनता है, की अधिक खपत की गई है जोकि अनियमित है। अतः वर्णित अनियमितता का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा उक्त वर्णित अधिक खपत डीजल के मूल्य की उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित की जाएः–

माह	वाहन द्वारा तय कुल दूरी (कि0मी0 में)	डीजल की कुल खपत (लीटर में)	तेल खपत वास्तविक औसत (प्रति कि0मी0/लीटर में)	तेल खपत की तय औसत (प्रति कि0मी0/ लीटर में)	डीजल की कुल खपत जो तय औसत अनुसार होनी चाहिए (लीटर में)	अधिक तेल खपत की मात्रा (लीटर में)
(i) गाड़ी नं0 एच0पी0–18–0381						
10/2015	1530	300	5.11	5.5	278	22
3/16	862	200	4.31	5.5	156	44
4/16	644	140	4.6	5.5	117.09	22.90
5/16	1284	256	5.01	5.5	233.45	22.54
6/16	1105	225	4.91	5.5	200.90	24.09
7/16	300	85	3.52	5.5	54.55	30.45
10/16	957	271	3.53	5.5	174	97
11/16	1445	274	5.27	5.5	262.72	11.27
12/16	935	180	5.19	5.5	170	10
1/17	761	150	5.07	5.5	138.36	11.64
2/17	1325	260	5.09	5.5	240.90	19.10
					योग (i)	**314.99**
(ii) गाडी नं0 एच0पी0–18–4781						
4/15	702.3	191.98	3.66	3.86	181.94	10
5/15	1209	314.95	3.83	3.86	313.21	1.73
10/15	872.5	247.93	3.52	3.86	226	21.59
11/15	1013.5	291.15	3.48	3.86	262.5	28.58
12/15	1030	282.33	3.64	3.86	266.83	15.49
1/16	867.8	275.58	3.14	3.86	224.81	50.76
2/16	2206	672.99	3.28	3.86	571.50	101.48
					योग (ii)	**229.63**
(iii) गाडी नं0 एच0पी0–71–1736						
5/15	1654	461.31	3.58	3.65	453.15	8.15
6215	1738	499	3.48	3.65	476.16	22.83

7215	1755	506	3.47	3.65	480.82	25.17
8/15	1838	560.58	3.28	3.65	503.56	57
9/15	1923	600.72	3.28	3.65	526.84	73.15
10/15	1725	586.3	2.94	3.65	472.60	113.6
11/15	1749	596.42	2.93	3.65	479.17	117.24
12/15	1221	518.84	2.35	3.65	334.52	184.31
1/16	1295	457.62	2.82	3.65	354.79	102.20
2/16	71	37.11	1.91	3.65	19.45	17.45
3/16	473	172.8	2.73	3.65	129.58	43.21
4/16	1396	486.53	2.86	3.65	382.46	104.06
5/16	1595	552.74	2.88	3.65	436.98	115.75
6/16	2137	755.98	2.82	3.65	585.47	170.50
7/16	2390	747.02	3.19	3.65	654.79	92.22
8/16	1920	665.21	2.73	3.65	526	139.18
9/16	1896	607.39	3.12	3.65	519.45	87.54
10/16	2687	803.33	3.34	3.65	736.16	67.16
11/16	1435	441.3	3.25	3.65	393.15	47
1/17	1538	514.18	2.99	3.65	421.36	92.81
2/17	1986	564.59	2.51	3.65	544.10	19.9
					योग (iii)	**1700.43**

(iv) ट्रेक्टर संख्या एच0पी0–18–4935

माह	ट्रेक्टर संख्या एच0पी0–18–4935 द्वारा एक माह में जितने Hours Covered किये	डीजल की कुल खपत (लीटर में)	प्रति Hours वास्तविक औसत डीजल खपत लीटर में	डीजल खपत की तय औसत प्रति Hours	डीजल की कुल खपत जो तय औसत अनुसार होनी चाहिए (लीटर में)	अधिक तेल खपत की मात्रा (लीटर में)
6/15	38.3	165.07	4.30	3.60	137.88	27.19
			कुल अधिक तेल खपत (i व iv)			**2272.24**

31. नगर परिषद द्वारा किये भुगतान से सम्बन्धित प्राप्तकर्ताओं की वास्तविक प्राप्ति रसीदों को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

चयनित माह 10/2015 के व्यय वाउचरों का अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि निम्न प्रकरणों में नगर परिषद द्वारा किये गये भुगतानों की वास्तविक प्राप्ति रसीदों को सम्बन्धित फर्मों से प्राप्त नहीं किया गया था जिसके अभाव में भुगतान का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सकाः–

वा0सं0 / फर्म	ब्यौरा	मद का ब्यौरा	राशि (₹)	टिप्पणी
48/10&15	(1) Chairman building other construction. Works walfare board Shimla	Lab cess	68952	
	(2) Payable to labour officer Nahan	-do-	697	
			69649	
50/19-10-15	M/S Eagle Service shimla Bill No. 1227 dt. 27.9.15 Bill No. 1231 dt. 15.10.15	30 ots Mannuare	89100	
56/20-10-15	M/S Salhotra, H.P. Centre, Nahan Sirmour H.p.	Deisal bills	10750	
57/21-10-15	the Commandant Home Guard Nahan	Booking of band	11000	
60/21-10-15	Accounts officer (TR) B.S.N.L. through post office Nahan	payment of landline bill	11027	रसीद में राशि अंकित नहीं थी
62/21-10-15	M/S Bawaja brothers	Diesal bill	12220	
	M/S Salhotra H.P. Nahan	-do-	11000	
63/21-10-15	M/S eagle Shimla	सफाई करवाने का भुगतान	291748	
68/28-10-15	M/S Bhasal Tent House The Mall Nahan	चाय, पानी आदि की व्यवस्था	29000	
69/28-10-15	M/S Jai Jagan nath enterprises Kala Amb, Distt Sirmour	Stationery articles	13514	
70/28-10-15	M/S Lucky Genter store Naya Bazar Nahan (H.P.)	-do-	21955	

अतः फर्मों से वर्णित रसीदें प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाये।

32 स्टोर/स्टॉक का नियमित प्रत्यक्ष सत्यापन (Physical Verification) न करना

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका लेखा संहिता के अध्याय 12 के पैरा 12.43(सी) में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में प्रभारी स्टोर, लेखा विभाग और कार्यकारी अधिकारी/सचिव नगर पालिका/नगर पंचायत या अधिकृत कर्मचारी स्टोर में पड़ी मदों का प्रत्यक्ष सत्यापन करेंगे तथा इसका मिलान किताबी अभिलेख के शेष से करेंगे

और कोई अन्तर पाए जाने की स्थिति में निदेशक द्वारा निर्धारित यथोचित सुधारात्मक कदम उठाएं जायेगे। अंकेक्षण के दौरान सम्बन्धित अभिलेख के अवलोकन से विदित हुआ कि नगर परिषद द्वारा ऐसी कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई थी जोकि वर्णित प्रावधानों की सरासर उलंघना के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता का संज्ञान लेते हुए स्टोर/स्टॉक का नियमित प्रत्यक्ष सत्यापन प्रतिवर्ष करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि स्टोर/स्टॉक की किसी भी दुर्विनियोजन/Pilferage की सम्भावना से बचा जा सके तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

33 **लघु आपति विवरणिका :—** सभी लघु आपत्तियों का स्थल पर ही निपटारा कर दिया गया था। अतः यह विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई थी।

34 **निष्कर्ष :—** लेखों में सुधार तथा सम्बन्धित अभिलेख को समय—समय पर अध्यतन (Updation) एवं पूर्ण करने व गत अंकेक्षण पैरों पर तुरन्त ठोस कार्यवाही करने की नितांत आवश्यकता है।

हस्ता/—
(हेमराज भारद्वाज)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—09
फोन नं0—0177—2620881

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)(15)44/86—खण्ड—7—6422—6423 दिनांकः 29.09.18 शिमला—09

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

1) निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश शिमला—171002 को पैरा 1(ख) पर वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित कार्यकारी अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

पंजीकृत 2) कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती हैं कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को प्रतिवेदन जारी होने से एक मास के भीतर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

हस्ता/—
(हेमराज भारद्वाज)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—09
फोन नं0—0177—2620881

परिशिष्ट–''क''

अंकेक्षण प्रतिवेदन 1(ग) में सन्दर्भित

(क) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1960 से 3/1961

1	पैरा 4(ए)(1)	अनिर्णीत
2	पैरा 4(ए)(2)	अनिर्णीत
3	पैरा 4(ए)(3)	अनिर्णीत
4	पैरा 4(बी)	अनिर्णीत
5	पैरा 8	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 10/1965 से 03/1967

1	पैरा 7	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1969 से 11/1970

1	पैरा 7	अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 12/1970 से 3/1972

1	पैरा 4	अनिर्णीत
2	पैरा 5	अनिर्णीत
3	पैरा 6	अनिर्णीत
4	पैरा 7(ए)	अनिर्णीत

(ड़) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1972 से 3/1976

1	पैरा 8(iii)	अनिर्णीत
2	पैरा 19(ए)	अनिर्णीत
3	पैरा 9(आर)	अनिर्णीत
4	पैरा 9(एफ)	अनिर्णीत
5	पैरा 9(एच)	अनिर्णीत
6	पैरा 12(ए)	अनिर्णीत
7	पैरा 13(बी)	अनिर्णीत
8	पैरा 13(डी)	अनिर्णीत
9	पैरा 13(ई)	अनिर्णीत
10	पैरा 13(एफ)	अनिर्णीत
11	पैरा 13(जी)	अनिर्णीत
12	पैरा 13(एच)	अनिर्णीत
13	पैरा 13(आई)	अनिर्णीत
14	पैरा 13(जे)	अनिर्णीत
15	पैरा 13(के)	अनिर्णीत
16	पैरा 13(एल)	अनिर्णीत
17	पैरा 13(एम)व(एन)	अनिर्णीत
18	पैरा 14(ए)	अनिर्णीत
19	पैरा 14(बी)	अनिर्णीत
20	पैरा 19(7)	अनिर्णीत
21	पैरा 19(8)	अनिर्णीत
22	पैरा 19(20)	अनिर्णीत
23	पैरा 19(21)	अनिर्णीत

24	पैरा 19(22)	अनिर्णीत
25	पैरा 20	अनिर्णीत
26	पैरा 21	अनिर्णीत
27	पैरा 25	अनिर्णीत
28	पैरा 30	अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1976 से 3/1982

1	पैरा 3(डी)(1)	अनिर्णीत
2	पैरा 3(डी)(2)	अनिर्णीत
3	पैरा 9(2)	अनिर्णीत
4	पैरा 11	अनिर्णीत
5	पैरा 12	अनिर्णीत
6	पैरा 19	अनिर्णीत
7	पैरा 20(ई)	अनिर्णीत
8	पैरा 20(एफ)	अनिर्णीत
9	पैरा 20(जी)	अनिर्णीत
10	पैरा 20(एच)	अनिर्णीत
11	पैरा 20(जे)	अनिर्णीत
12	पैरा 23(4)	अनिर्णीत
13	पैरा 23(30)	अनिर्णीत
14	पैरा 23(32)	अनिर्णीत
15	पैरा 23(35)	अनिर्णीत
16	पैरा 23(38)	अनिर्णीत
17	पैरा 23(46)	अनिर्णीत
18	पैरा 25	अनिर्णीत
19	पैरा 26	अनिर्णीत
20	पैरा 29	अनिर्णीत
21	पैरा 31	अनिर्णीत
22	पैरा 32(बी)	अनिर्णीत

(छ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1982 से 3/1984

1	पैरा 6	अनिर्णीत
2	पैरा 7	अनिर्णीत
3	पैरा 15(बी)	अनिर्णीत
4	पैरा 15(एफ)	अनिर्णीत
5	पैरा 17(4)	अनिर्णीत
6	पैरा 17(5)	अनिर्णीत
7	पैरा 17(13)	अनिर्णीत
8	पैरा 17(14)	अनिर्णीत
9	पैरा 17(22)	अनिर्णीत
10	पैरा 17(29)	अनिर्णीत
11	पैरा 18(22)	अनिर्णीत
12	पैरा 22(ए)	अनिर्णीत
13	पैरा 22(बी)	अनिर्णीत

(ज) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1984 से 3/1985

1	पैरा 7	अनिर्णीत

2	पैरा 14(4)	अनिर्णीत	
3	पैरा 14(5)	अनिर्णीत	
4	पैरा 14(6)	अनिर्णीत	
5	पैरा 15(4)	अनिर्णीत	
6	पैरा 20	अनिर्णीत	
7	पैरा 21	अनिर्णीत	
8	पैरा 23	अनिर्णीत	
9	पैरा 24(ई)	अनिर्णीत	

(झ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1985 से 3/1986

1	पैरा 3(डी)(1)	अनिर्णीत	
2	पैरा 5	अनिर्णीत	
3	पैरा 6	अनिर्णीत	
4	पैरा 7(बी)	अनिर्णीत	
5	पैरा 8	अनिर्णीत	
6	पैरा 9	अनिर्णीत	
7	पैरा 14	अनिर्णीत	
8	पैरा 15	अनिर्णीत	
9	पैरा 17(बी)	अनिर्णीत	
10	पैरा 19	अनिर्णीत	
11	पैरा 20	अनिर्णीत	
12	पैरा 21(बी)	अनिर्णीत	
13	पैरा 21(एफ)	अनिर्णीत	
14	पैरा 21(जे)	अनिर्णीत	
15	पैरा 22(ए)	अनिर्णीत	

(ञ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1986 से 3/1990

1	पैरा 6	अनिर्णीत	
2	पैरा 7	अनिर्णीत	
3	पैरा 8	अनिर्णीत	
4	पैरा 11	अनिर्णीत	
5	पैरा 12	अनिर्णीत	
6	पैरा 14	अनिर्णीत	
7	पैरा 19(2)	अनिर्णीत	
8	पैरा 24	अनिर्णीत	
9	पैरा 25	अनिर्णीत	
10	पैरा 26	अनिर्णीत	

(ट) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1990 से 3/1992

1	पैरा 5	आंशिक निर्णीत	(सरकारी अनुदानों से बची राशि को वापिस सरकारी खजाने में जमा नहीं करवाया गया)
2	पैरा 6	अनिर्णीत	
3	पैरा 7(क)	अनिर्णीत	
4	पैरा 8(ग)(1)	अनिर्णीत	

5	पैरा 8(ग)(3)	आंशिक निर्णीत	(सफेदी करवाने के लिए मस्टरोल संख्याः 104 से कार्य की समस्त जाँच नहीं की गई)
6	पैरा 8(ड़)	अनिर्णीत	
7	पैरा 9(क)(1)	अनिर्णीत	
8	पैरा 9(क)(3, 4)	अनिर्णीत	
9	पैरा 9(ख)(ग)	अनिर्णीत	
10	पैरा 10(ख)(ग)	अनिर्णीत	
11	पैरा 11(क)(ख)(1से 5)	अनिर्णीत	
12	पैरा 12(क)(15)	अनिर्णीत	
13	पैरा 12(क)(19)	अनिर्णीत	
14	पैरा 12(क)(21 से 23)	अनिर्णीत	
15	पैरा 13	अनिर्णीत	
16	पैरा 13(घ)	अनिर्णीत	
17	पैरा 16(ख)(1)	अनिर्णीत	
18	पैरा 16(ग)(घ)	अनिर्णीत	
19	पैरा 17	अनिर्णीत	
20	पैरा 20(क)(5)	अनिर्णीत	
21	पैरा 21(क)	अनिर्णीत	
22	पैरा 21(ख)(1)	अनिर्णीत	
23	पैरा 21(ग से ज)	अनिर्णीत	
24	पैरा 22	अनिर्णीत	
25	पैरा 24	अनिर्णीत	
26	पैरा 27(ख)	अनिर्णीत	
27	पैरा 30	अनिर्णीत	
28	पैरा 31	अनिर्णीत	
29	पैरा 32	अनिर्णीत	

(ठ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1992 से 3/1995

1	पैरा 5(क)(iv)	अनिर्णीत
2	पैरा 5(ज)	अनिर्णीत
3	पैरा 6(i) से (iv)	अनिर्णीत
4	पैरा 7(ग)(i)(ii)	अनिर्णीत
5	पैरा 8	अनिर्णीत
6	पैरा 11	अनिर्णीत
7	पैरा 13(क)(v)	अनिर्णीत
8	पैरा 13(फ)(vi)	अनिर्णीत
9	पैरा 13(फ)(vii)	अनिर्णीत
10	पैरा 13(एफ)(ix)	अनिर्णीत
11	पैरा 13(म)(i से vi)	अनिर्णीत
12	पैरा 15(क से ड़)	अनिर्णीत
13	पैरा 16(ड़)(i से vi)	अनिर्णीत

14	पैरा 16(च)(i)	अनिर्णीत
15	पैरा 17(क)(i)(ii)	अनिर्णीत
16	पैरा 17(ख)(i to v)	अनिर्णीत
17	पैरा 17(ग)(i to v)	अनिर्णीत
18	पैरा 21(iv to ix)	अनिर्णीत
19	पैरा 22(iii)	अनिर्णीत
20	पैरा 27	अनिर्णीत

(ड) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1995 से 3/2003

1	पैरा 6(1)	अनिर्णीत
2	पैरा 6(2)	अनिर्णीत
3	पैरा 6(3)	अनिर्णीत
4	पैरा 7	अनिर्णीत
5	पैरा 8	अनिर्णीत
6	पैरा 9	अनिर्णीत
7	पैरा 10	अनिर्णीत
8	पैरा 11	अनिर्णीत
9	पैरा 13(4)	अनिर्णीत
10	पैरा 14(6)	अनिर्णीत
11	पैरा 19(1)	अनिर्णीत
12	पैरा 19(2)(3)	अनिर्णीत
13	पैरा 19(5)	अनिर्णीत
14	पैरा 20(5)	अनिर्णीत
15	पैरा 20(6)	अनिर्णीत
16	पैरा 20(7)	अनिर्णीत
17	पैरा 20(8)	अनिर्णीत

(ढ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2003 से 3/2007

1	पैरा 2	अनिर्णीत
2	पैरा 3(i,ii)	अनिर्णीत
3	पैरा 4(ii to ix)	अनिर्णीत
4	पैरा 4(x)(a)	अनिर्णीत
5	पैरा 4(xi)(a & b)	अनिर्णीत
6	पैरा 4(xii)(a to f)	अनिर्णीत
7	पैरा 4(xv) & 4(xvi)	अनिर्णीत
8	पैरा 5(i to ii)	अनिर्णीत
9	पैरा 5(iv)	अनिर्णीत
10	पैरा 5(viii)	अनिर्णीत
11	पैरा 5(ix)	अनिर्णीत
12	पैरा 5(xix)	अनिर्णीत
13	पैरा 5(xxiv)	अनिर्णीत
14	पैरा 6(iv to vi)	अनिर्णीत
15	पैरा 6(viii to xiv)	अनिर्णीत
16	पैरा 6(xvii to xviii)	अनिर्णीत
17	पैरा 7(ii)(ख)	अनिर्णीत
18	पैरा 7(vii to viii)	अनिर्णीत

19	पैरा 7(xi to xviii)	अनिर्णीत	
20	पैरा 8(i & ii)	अनिर्णीत	
21	पैरा 8(iii)	अनिर्णीत	
22	पैरा 9	अनिर्णीत	
23	पैरा 10	अनिर्णीत	

(ण) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2011

1	पैरा 4	अनिर्णीत	
2	पैरा 5	अनिर्णीत	
3	पैरा 6	अनिर्णीत	
4	पैरा 7	अनिर्णीत	
5	पैरा 8	अनिर्णीत	
6	पैरा 9	अनिर्णीत	
7	पैरा 10	अनिर्णीत	
8	पैरा 11	अनिर्णीत	
9	पैरा 12	अनिर्णीत	
10	पैरा 13	अनिर्णीत	
11	पैरा 14	अनिर्णीत	
12	पैरा 15	अनिर्णीत	
13	पैरा 16	अनिर्णीत	
14	पैरा 18	अनिर्णीत	
15	पैरा 24	अनिर्णीत	

(त) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2013

1	पैरा 4(10क और ख)	अनिर्णीत	
2	पैरा 5(1)	अनिर्णीत	
3	पैरा 5(2)	अनिर्णीत	
4	पैरा 5(3)	अनिर्णीत	
5	पैरा 6(क)(1)	अनिर्णीत	
6	पैरा 6(क)(2)	अनिर्णीत	
7	पैरा 6(ख)	अनिर्णीत	
8	पैरा 8(1)	अनिर्णीत	
9	पैरा 8(5)	निर्णीत	(नगर परिषद नाहन की साधारण बैठक दिनांक 27.8.2015 में प्रस्ताव संख्या 21 में किए गए कार्य का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने उपरान्त)
10	पैरा 8(6)	अनिर्णीत	
11	पैरा 8(7)	अनिर्णीत	
12	पैरा 8(10 क और ख)	अनिर्णीत	
13	पैरा 8(12)	निर्णीत	(–यथोपरि– प्रस्ताव संख्या 22 में दिए गए स्पष्टीकरण के उपरान्त)
14	पैरा 9	अनिर्णीत	
15	पैरा 10(क) और (ख)	अनिर्णीत	
16	पैरा 11	अनिर्णीत	
17	पैरा 12	अनिर्णीत	
18	पैरा 13	अनिर्णीत	

19	पैरा 14(क) और (ख)	अनिर्णीत	
20	पैरा 15	अनिर्णीत	
21	पैरा 16	अनिर्णीत	
22	पैरा 17	अनिर्णीत	
23	पैरा 18(1)	अनिर्णीत	
24	पैरा 18(2)	अनिर्णीत	
25	पैरा 18(3)	अनिर्णीत	
26	पैरा 18(4)	अनिर्णीत	
27	पैरा 19	अनिर्णीत	
28	पैरा 20(1)(क)	अनिर्णीत	
29	पैरा 20(1)(ख)	अनिर्णीत	
30	पैरा 20(1)(ग)	अनिर्णीत	
31	पैरा 20(1)(घ)	अनिर्णीत	
32	पैरा 20(1)(ड़)	अनिर्णीत	
33	पैरा 20(2)	अनिर्णीत	
34	पैरा 20(3)	अनिर्णीत	
35	पैरा 20(4)	अनिर्णीत	
36	पैरा 20(5)	अनिर्णीत	
37	पैरा 20(6)	अनिर्णीत	
38	पैरा 20(7)	अनिर्णीत	
39	पैरा 20(8)	अनिर्णीत	
40	पैरा 20(9)	अनिर्णीत	
41	पैरा 20(10)	अनिर्णीत	
42	पैरा 20(11)	अनिर्णीत	
43	पैरा 21(1)	अनिर्णीत	
44	पैरा 21(2)	अनिर्णीत	
45	पैरा 21(3)	अनिर्णीत	
46	पैरा 21(4)	अनिर्णीत	
47	पैरा 22	अनिर्णीत	
48	पैरा 23(क)(i)	अनिर्णीत	
49	पैरा 23(क)(ii)	अनिर्णीत	
50	पैरा 23(क)(iii)	अनिर्णीत	
51	पैरा 23(3)	अनिर्णीत	
52	पैरा 23(4)	अनिर्णीत	
53	पैरा 23(5)(क)	अनिर्णीत	
54	पैरा 23(5)(ख)	अनिर्णीत	
55	पैरा 23(5)(ग)	अनिर्णीत	
56	पैरा 23(6)(क)	अंशतः निर्णीत	(केवल श्री रोशन अली से ₹10617 की राशि वसूली हेतु शेष है।)
57	पैरा 24(2)	अनिर्णीत	
58	पैरा 24(3)	अनिर्णीत	
59	पैरा 24(4)	अनिर्णीत	
60	पैरा 25(ख)	अनिर्णीत	
61	पैरा 26(ख)	अनिर्णीत	

62	पैरा 26(1)	अनिर्णीत	
63	पैरा 26(2)	अनिर्णीत	
64	पैरा 28(ख)	अनिर्णीत	
65	पैरा 29(ख)	अनिर्णीत	
66	पैरा 30	अनिर्णीत	
67	पैरा 31(क)	अनिर्णीत	
68	पैरा 31(ख)	अनिर्णीत	
69	पैरा 31(ग)	अनिर्णीत	
70	पैरा 33(क)	अनिर्णीत	
71	पैरा 33(ख)	अनिर्णीत	
72	पैरा 33(ग)	अनिर्णीत	
73	पैरा 34	अनिर्णीत	

(थ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2013 से 3/2015

1	पैरा 3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क ₹77000 को ड्राफ्ट संख्या 433590 दिनाक 20.8.15 द्वारा जमा करने के उपरान्त)
2	पैरा 4	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
3	पैरा 4.1	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
4	पैरा 4.2	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
5	पैरा 4.2 (i)	निर्णीत	(₹460 की वसूली 11/340 दिनांक 17.8.15 द्वारा करने के उपरान्त)
6	पैरा 4.2 (ii)	निर्णीत	(₹24000 की वसूली रसीद संख्या 08/196 दिनांक 3.9.2013 द्वारा करने के उपरान्त (त्मबवदल पद बैं कमचवेपजमक पद इंदा वद 4ण9ण13)
7	पैरा 4.2 (iii)	अनिर्णीत	
8	पैरा 5	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
9	पैरा 5..1	अनिर्णीत	
10	पैरा 5.2	अनिर्णीत	
11	पैरा 5.3	अनिर्णीत	
12	पैरा 5.4	अनिर्णीत	
13	पैरा 6	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
14	पैरा 7	अनिर्णीत	
15	पैरा 8	अनिर्णीत	
16	पैरा 9	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
17	पैरा 9.1	अनिर्णीत	
18	पैरा 9.2	अनिर्णीत	
19	पैरा 10	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
20	पैरा 11	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
21	पैरा 12	अनिर्णीत	
22	पैरा 13	अनिर्णीत	
23	पैरा 14	अनिर्णीत	
24	पैरा 15	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)

25	पैरा 16	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
26	पैरा 17	अनिर्णीत	
27	पैरा 17.1	अनिर्णीत	
28	पैरा 18	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
29	पैरा 19	अनिर्णीत	
30	पैरा 20 (क, ख)	अनिर्णीत	
31	पैरा 21	अनिर्णीत	
32	पैरा 22	अनिर्णीत	
33	पैरा 23	अनिर्णीत	
34	पैरा 23.1	अनिर्णीत	
35	पैरा 23.2	अनिर्णीत	
36	पैरा 24	अनिर्णीत	
37	पैरा 25 (1)	अनिर्णीत	
38	पैरा 25 (2)	अनिर्णीत	
39	पैरा 26	अनिर्णीत	
40	पैरा 26.1	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
41	पैरा 26.2	अनिर्णीत	
42	पैरा 26.3	अनिर्णीत	
43	पैरा 27	निर्णीत	(हि0प्र0 सरकार स्वीकृति निदेशक (UD) के पत्र UD-H (B) (1)-10/99 -34976-78 दिनांक 29.3.17 द्वारा प्रदान करने के उपरान्त)
44	पैरा 28	अनिर्णीत	
45	पैरा 29	अनिर्णीत	
46	पैरा 30	अनिर्णीत	
47	पैरा 31	अनिर्णीत	
48	पैरा 32	अनिर्णीत	
49	पैरा 33	अनिर्णीत	
50	पैरा 34	अनिर्णीत	
51	पैरा 34.1	अनिर्णीत	
52	पैरा 34.1.1	अनिर्णीत	
53	पैरा 34.2	अनिर्णीत	
54	पैरा 34.3	अनिर्णीत	
55	पैरा 34.3.1	अनिर्णीत	
56	पैरा 34.3.2	अनिर्णीत	
57	पैरा 35	अनिर्णीत	
58	पैरा 36 (क)	अनिर्णीत	
59	पैरा 36 (ख)	अनिर्णीत	
60	पैरा 37	निर्णीत	(₹259898 के स्थान पर ₹260000 की वसूली संविदाकार के उसी कार्य के पांचवे व अन्तिम बिल से माप पुस्तिका संख्या

			9354 पृष्ठ 40 पर करने के उपरान्त)
61	पैरा 37.1	अनिर्णीत	
62	पैरा 38 (1)	अनिर्णीत	
63	पैरा 38 (2)	निर्णीत	(₹26 की वसूली रसीद संख्या 84/14 दिनांक 6.3.18 द्वारा करने के उपरान्त)
64	पैरा 38 (3)	निर्णीत	(₹26 की वसूली रसीद संख्या 85/14 दिनांक 6.3.18 द्वारा करने के उपरान्त)
65	पैरा 38.1	अनिर्णीत	
66	पैरा 39	अनिर्णीत	
67	पैरा 40	अनिर्णीत	
68	पैरा 41	अनिर्णीत	
69	पैरा 42	अनिर्णीत	
70	पैरा 43	अनिर्णीत	
71	पैरा 44	अनिर्णीत	
72	पैरा 45	अनिर्णीत	

अनिर्णीत पैरा का सार

दिनांक 31.3.15 को अनिर्णीत पैरों का अन्तशेष	357
(+) वर्तमान अंकेक्षण के दौरान लगाए गए पैरे	30
(–) वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निर्णीत किए गए पैरे	21
दिनांक 31.3.17 को अनिर्णीत पैरों का अन्तशेष	366